असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

08 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा सोमवार, तिथि 08 जुलाई, 2019 ई0

त्रयोदश सत्र 17 आषाढ़, 1941 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्प सूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री आनंद शंकर सिंह : औरंगाबाद में डी0पी0ओ0 ने एक शिक्षक को छत पर से फेंक दिया है ।

अध्यक्ष : तो उसके संबंध में जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी, वह की जायेगी ।

श्री आनंद शंकर सिंह : डी0पी0ओ0 पिछले 6 वर्षों से वहीं पर टिका हुआ है, कहीं उसका ट्रांसफर होता है तो फिर उसी जगह पर अपना ट्रांसफर करवा लेता है ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्प सूचित प्रश्न संख्या-8 (श्री भाई विरेन्द्र)

अध्यक्ष : श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी । सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह खाद्य एवं आपूर्त्ति विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 445 (श्री महबूब आलम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम - अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 446 (श्री यदुवंश कुमार यादव)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव -अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 447 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष 2014 में पूर्ण किया जा चुका है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 448 (डा0अब्दुल गफूर)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वर्तमान में पटना, गया एवं भागलपुर में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित है एवं 6 जिलों में निर्मित है । राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से छात्रावास के लिये जमीन, स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । जमीन, स्थल उपलब्ध होने पर छात्रावास का निर्माण किया जायेगा ।

डा0 अब्दुल गफूर : जवाब माननीय मंत्री जी सही दिये हैं । जवाब से मैं संतुष्ट हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 449 (श्री मो0 नवाज आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

ख. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट में आवेदन द्वारा जिस विषय की परीक्षा दी जाती है, उस विषय में वह उच्च योग्यताधारी होता है तथा उसी विषय में संबंधित शैक्षणिक पद पर उसकी नियुक्ति होती है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये ली जानेवाली परीक्षा के उपरांत चयनित आवेदक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रशासनिक पदों पर होती है ।

अतः उक्त दोनों तथ्य एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं ।

ग. प्राकृत भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, यह बहुत ही अहम सवाल है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नेट की परीक्षायें होती है उसमें प्राकृत विषय स्वीकृत है, अगर स्वीकृत है तो

क्यों नहीं जो हमलोगों के बच्चे पास आउट होते हैं, प्राकृत विषय के, उनको कमीशन में, बी0पी0एस0सी0 में प्राकृत विषय को ऐच्छिक विषय में शामिल क्यों नहीं जाता है ? अगर शामिल करने का सरकार विचार रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि यह कोई विचाराधीन मामला नहीं है और न इस तरह का कोई प्रस्ताव है ।

श्री मो0नवोज आलम : महोदय, बहुत सारे लोग लगातार इस पर सफरर हैं और प्राकृत विषय का बहुत अहम सवाल है जो लड़के पास आउट होते हैं, उनको भी जिस तरह से आप उर्दू और तमाम विषय जो इसमें शामिल किये गये, बी0पी0एस0सी0 में ऐच्छिक विषय के रूप में तो प्राकृत विषय को भी ऐच्छिक विषय के रूप में लेना चाहिए । महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं और कबतक इसको शामिल करेंगे ?

अध्यक्ष : सरकार ने बता दिया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 450 (श्री शाहनवाज)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यदव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के सिसौना कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत है । कार्य संवेदक को निविदा के उपरांत आवंटित है ।

श्री शाहनवाज : महोदय, मेरा प्रश्न अररिया जिला के पलासी प्रखंड का है । माननीय मंत्री ने जोकीहाट के सिसौना प्रखंड का जवाब दिये है । उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, जो आगे है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेंगे । जवाब ठीक से नहीं आ पाया है ।

श्री शाहनवाज : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 451 (श्री शकील अहमद खॉ)

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में कुल 7,694 डेटा इन्ट्री ऑपरेटर्स हैं । विभिन्न

विभागों में कार्यरत, जिनकी सेवायें विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर बेल्ट्रॉन द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न वर्षों में उपलब्ध करायी गयी है।

2. संबंधित विभागों द्वारा मानदेय की राशि बेल्ट्रॉन को कराने के पश्चात उनके मानदेय के भुगतान की कार्रवाई की जाती है ।

3. तत्काल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा तारांकित प्रश्न संख्या 445 शुरू में ही था। मैं जाम में फंस गया था ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न । पहले आप बैठ जाईये ।

श्री शकील अहमद खॉ : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एडहॉक की जो व्यवस्था है और जिस व्यवस्था से काम करने में बाधा भी आती है तो एडहॉक की व्यवस्था क्या पैसा नहीं रहने की वजह से या डिपाटैमेंट को एडहॉकिज्म पर लगातार रखना है, कोई न कोई सिस्टम या कोई न कोई कारण तो इसका होगा? क्या पैसे की कमी है या योंहि चलता रहेगा एडहॉकिज्म ? इस एडहॉकिज्म को कैसे हम दूर करें ताकि काम सुचारू रूप से विभिन्न विभागों में भी चल सके । यह एक मूल प्रश्न है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, काम तो सुचारू रूप से चल रहा है । व्यवस्था यह है कि विभाग अधियाचना करता है कि इतना डेटा इन्ट्री ऑपरेटर चाहिए । तो बेल्ट्रॉन आउट सोर्सिंग के माध्यम से, महोदय, ये संविदा पर नियुक्त नहीं हैं, लेकिन ये जो आउट सोर्सिंग भी हैं, ये तीन सालों के लिये सुरक्षित हैं कि तीन सालों तक ये काम करेंगे और जब अच्छा काम करेंगे तो फिर तीन सालों के लिये बढ़ा दिया जाता है और प्रति वर्ष इनको 3 प्रतिशत इन्क्रीमेंट का भी प्रावधान है । तो यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है । बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभागों को अच्छी सेवायें मिल रही है ।

महोदय, जहां तक उनके मानदेय के भुगतान का सवाल है, उसमें यह शिकायत मिली कि कई बार महीना दो महीना देर हो रही है तो मैंने उसका पूरा रिव्यू किया है, हम व्यवस्था करेंगे । चूंकि होता यह है कि विभाग पहले उसका ऐबसेंटी भेजता है कि इस महीने कितने लोग अनुपस्थित रहे, फिर उसके

आधार पर बिल जेनरेट होता है, फिर वह विभाग के पास जाता है, चूंकि पैसा विभाग के पास है । विभाग बेल्ट्रॉन को पैसा भेजता है फिर बेल्ट्रॉन सर्विस प्रोवाईडर को पैसा का भुगतान करता है और तब सर्विस प्रोवाईडर डेटा इन्डट्री ऑपरेटर को पैसा भुगतान करता है ।

महोदय, हम इस व्यवस्था को बदलेंगे । अभी महीनाभर लगता है वेतन भुगतान करने में तो वह महीना भर भी नहीं लगे और हरेक महीना के अगले पांच तारीख तक सभी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर को पैसे का भुगतान हो जाय । इसको हम सुनिश्चित करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील जी, आज आप का जो प्रश्न है, उसका उत्तर वेब साईट पर आ गया था, क्या उसको आपने देखा था ?

श्री शकील अहमद खॉ : बिल्कुल देखा था ।

अध्यक्ष : हम सभी माननीय सदस्यों से जान-बूझकर इसका जिक्र कर अनुरोध करना चाहते हैं कि जो उत्तर विभाग से कुछ समय पहले मिल जाते हैं, उसको तो हमलोग सरकुलेट करा देते हैं, ऑर्डर पेपर के साथ । लेकिन कुछ उत्तर ऐसे हैं जो प्रश्न के लिये निर्धारित तिथि है जैसे आज जो प्रश्न निर्धारित है, उससे एक दिन पहले, दो दिन पहले वेब साईट पर अपलोड किये जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह हमलोग सरकुलेट नहीं कर पाते हैं । लेकिन उत्तर विभाग की तरफ से आ जाता है । जैसे आज 67 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हैं उनमें से 26 के उत्तर वेब साईट के माध्यम से आये हुये हैं । कुछ उत्तर जो पहले आते हैं, उनको हमलोग सरकुलेट करा देते हैं और जो बाद में आते हैं उनको हमलोग सरकुलेट नहीं करा पाते हैं । हमारा सिर्फ अनुरोध है कि जिस प्रश्न के उत्तर वेब साईट पर अपलोड कर दिये जाते हैं ।

क्रमश :

टर्न-2/अंजनी/दि0 08.07.19

अध्यक्ष : ...क्रमश:.... जैसे आज ही इस प्रश्न का उत्तर था, हमलोग सरकुलेट नहीं कर पाये थे लेकिन विभाग से उत्तर आ गया था और साईट पर अपलोडेड था, अगर आप उसको देखकर आईए और बता दीजिए कि हम उत्तर देख चुके हैं तो

पूरक से ही उसकी शुरूआत होगी और समय बचेगा । अधिक-से-अधिक प्रश्नों का निष्पादन हो सकेगा । मेरा यही सभी लोगों से अनुरोध होगा ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय मंत्रियों को भी बता दीजिए कि वे भी देखकर आयें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री भी कह सकते हैं कि उत्तर आया हुआ है और आप पूरक पूछिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, उत्तर को सरकुलेट भी कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपने पूरी बात ही नहीं सुनी । हमने कहा कि दो दिन पहले तक, अब आज सुबह में अपलोड हुआ है तो हम कैसे सरकुलेट करेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं । फर्क यही है कि आज जो प्रश्न निर्धारित है, अगर शाम में 8-9 बजे उसका उत्तर पिछली शाम को होता है तो हम सरकुलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन आप पढ़ सकते हैं । सदन का समय बचाने के लिए हमने कहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-452(श्रीमती भागीरथी देवी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-453(डॉ0 अब्दुल गफूर)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

सहरसा जिला मुख्यालय में वर्तमान में एक अल्पसंख्यक छात्रावास है, जिसमें एक सौ छात्रों की आवासन की व्यवस्था है, अतिरिक्त 100 बेड की एक छात्रावास की आवश्यकता समझते हुए जिला मुख्यालय में उचित स्थान की तलाश की जा रही है, स्थान मिलते ही छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ।

डॉ0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, जहां छात्रावास बना हुआ है, उसी के परिसर में इतनी जगह है कि एक और छात्रावास बनाया जा सकता है तो क्या माननीय मंत्री जी

उस स्थल का निरीक्षण कराकर अभी बर्तमान समय में जो छात्रावास बना हुआ है, क्या उसी परिसर में बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा बताया तो शीघ्र ही वहां के जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन ले ली जाती है और उसपर निर्माण कार्य किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-454(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्त्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंडस्थल पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज है या इंटर कॉलेज है और कोई-कोई पंचायत की दूरी इतनी रहती है, 20-25 किलोमीटर की दूरी रहती है । बच्चियों को पढ़ाने का विचार सरकार सिर्फ किताबी रखती है, हम यह जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार जो बच्ची डिग्री कॉलेज मुख्यालय में 20 किलोमीटर होने के कारण पठन-पाठन से वंचित रह जा रही हैं, तो उसके लिए छात्रावास खोलकर उन बच्चियों को सही पठन-पाठन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि जिलास्तर पर छात्रावास का निर्माण कराये गये हैं और अभी प्रखंडस्तर पर कहीं भी छात्रावास निर्माण कराने का प्रावधान नहीं है, आवश्यकता समझने पर अगर प्रखंडस्तर पर बनाना है तो बनाया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-455(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-456(श्री सैयद अबु दौजाना)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-457(डॉ0 रंजू गीता)

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : आपको उन्होंने अधिकृत किया है ?

श्री रत्नेश सादा: जी नहीं ।

अध्यक्ष : तो आप कैसे पूछ रहे हैं रत्नेश जी । आप किस अधिकार से यह प्रश्न पूछ रहे है, लिखकर दी हैं ?

श्री रत्नेश सादा : जी नहीं ।

अध्यक्ष : न आपके पास है और न मेरे पास है तो लिखकर क्या दी ?

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-458(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष : आपने उत्तर देखा है, उत्तर साईट पर अपलोड किया हुआ है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : नहीं देखा है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी बता दीजिए । इसीलिए मैंने कहा था कि सब लोग देखकर आइए तो अभी जितना देर मंत्री जी पढ़ेंगे, वह समय सदन का बच जाता ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के प्रखंड गौरियाकोठी के पंचायत मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य इ-निविदा के द्वारा आवंटित हुआ है । संबंधित संवेदक द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन एवं मानक के द्वारा कार्य किया जा रहा था परंतु अभीतक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 25.7.18 एवं पूर्ण करने

की तिथि 24.1.19 है । कार्य पूर्ण करने हेतु संबंधित संवेदक को निदेशित किया गया परन्तु समय पर कार्य पूरा नहीं करने के कारण उनके कार्य को निषेधित कर दिया गया है । जिला पदाधिकारी, सिवान को जांच कराकर अधूरे कब्रिस्तान की घेराबंदी रद्द करने का निदेश दिया गया है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि वर्ष 2018 में उसको इनवैलिड कर दिया गया। कब्रिस्तान घेराबंदी का मामला बनता है । आपने जो राशि खर्च किया है, आपने समय-सीमा निर्धारित किया था कि तय समय के बीच में घेराबंदी हो जाना चाहिए । वह पैसा भी आपने दिया है, 1/4 काम हुआ है और आपने उसको रिसाइन कर दिया । समय अवधि में पूरा नहीं करने के चलते जो क्षति हुई है, उसके जिम्मेवार कौन हैं ? अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए रिसपोंसिब्लिटी किन पर जायेगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप बैठ जाइए ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : मेरी बात सुन ली जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि सम्पूर्ण चीजों की जांच करके अपेक्षित कार्रवाई करें और घेराबंदी भी पूर्ण करने की कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । तारांकित प्रश्न सं0-459 ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, घेराबंदी का प्रश्न है, समाहर्त्ता महोदय को इन्होंने लिख दिया है, डी0एम0 साहेब को आदेश दिया है । डी0एम0 साहेब और एक्ज्युकेटिव क्या कर रहा था ? जब समय निर्धारित था कि इतने समयावधि के अन्दर काम को पूरा कर देना है और जब काम पूरा नहीं किया तो विभाग के द्वारा कौन-सी कार्रवाई की गयी ? सिवान के कलक्टर ने कौन-सा कार्रवाई किया ? अगर मैं प्रश्न नहीं किया होता तो यह जवाब भी नहीं आता कि कार्य अधूरा है, रिसाइन्ड है ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि जिन पदाधिकारी के द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाय ?

अध्यक्ष : वही तो माननीय मंत्री कह रहे हैं कि कलक्टर जांच करके जो उचित कार्रवाई होगा, वह करेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, इसपर क्या जांच होना है, इनका जवाब कहता है कि टाईम डेबार हो गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो एजेंसी कार्य कर रहा था, उसका निषेध कर दिया गया मतलब उसको हटा दिया गया और बचे हुए काम की कलक्टर समीक्षा करके आगे का काम करायेंगे, जिम्मेवारी फिक्सड करेंगे । अब क्या चाहिए ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो संवेदक ने काम नहीं किया, टाईम के अन्दर काम नहीं किया तो आपने उसको रिसाइन कर दिया लेकिन जो पैसा सरकार का खर्च हुआ और काम पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए कौन दोषी है ?

अध्यक्ष : मंत्री जी वही तो कह रहे हैं कि कलक्टर जांच करेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-459(श्री अमीत कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत के परसौनी ग्राम के कब्रिस्तान असामाजिक तत्वों का जमावड़ा एवं अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण जैसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । यह कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 120 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 150 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य चल रहा है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से

संबंधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका-634 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक उन्हें प्राप्त निधि से भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री अमीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि वह सबसे सेंसेटिव जगह है, पिछले साल भी वहां दंगा हुआ था और यहां बताया जा रहा है कि वह संसेटिव नहीं है और डरे हुए नहीं हैं । विधायक निधि में बाउंड्रीवाल अगर कराते हैं तो जो छोटा-छोटा है, उसको तो हमलोग देख लेते हैं लेकिन यह बड़ा कब्रिस्तान है, जिसका हमलोगों के फंड से नहीं कराया जा सकता है । इसको जरा गंभीरता से लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जल्द-से-जल्द इसको कराया जाय, क्योंकि रेकर्ड में भी पिछली बार भी मुहर्रम के समय में दंगा होने की संभावना थी, वहां 144 लगा था, इसको पहले एक बार चेक करा लिया जाय ।

टर्न-3/राजेश/8.7.19

तारांकित प्रश्न संख्या-460 (श्री विनय बिहारी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नवलपुर और शनिचरी थाना भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित किया गया है, चिन्हित भूमि पर जल्द भू-अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, भू-अर्जन के पश्चात् थाना भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायगी ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 2013, 2016 एवं 2019 तीन बार तारांकित प्रश्न आया तीन-तीन साल में और वहॉ की स्थिति ऐसी है कि वहॉ पर हर हफ्ते सर्प निकलता है और एक भी कमरा ऐसा नहीं है कि सिपाही सो सके और भू-अर्जन पदाधिकारी की कार्रवाई जो है, हमारे अंचल से 2016 में आयी है, तो तीन साल से यह काम हो ही रहा है ? हमें तो नहीं लगता है कि भू-अर्जन की कार्रवाई ठीक से हो रहा है.....(व्यवधान)

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ।

श्री विनय बिहारीः महोदय, मैं पूछ रहा हूँ कि भवन निर्माण की कार्रवाई कब तक शुरु होगी?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, जब तक जमीन अधिग्रहण का रिर्पोट नहीं आ जायेगा, यहाँ से भूमि अधिग्रहण के लिए अविलंब आदेश दिया जायेगा कि वे जल्द से जल्द करके भेजे और अपेक्षित कार्रवाई जल्द से जल्द जितना संभव होगा, करेंगे। चूंकि थाने की जरुरत है और थाने का भवन होना चाहिए उनको रहने के लिए और यह आवश्यक भी है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी करवाया जायेगा।

श्री विनय बिहारीः अध्यक्ष महोदय, एक थाना एन0एच0-28 बी पर है और एक थाना एम0डी0आर0 पथ पर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है और भू-अर्जन पदाधिकारी के पास हमारे अंचल अधिकारी के माध्यम से 2016 में भूमि से संबंधित सारे कागजात दे दिये गये हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्षः ये सारी सूचनाएँ माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजियेगा, माननीय मंत्री जी इसे देखेंगे कि शीघ्र भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी हो जाय ।

श्री विनय बिहारीः जी ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री विनय बिहारीः धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-461 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः माननीय मंत्री गृह विभाग ।

अध्यक्षः आपने तो उत्तर नहीं देखा होगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः नहीं सर ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, कोई उत्तर नहीं देखते है ।

अध्यक्षः इसका भी उत्तर संलग्न है । माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में स्थित खोंता ग्राम में दो कब्रिस्तान का घेराबंदी पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें एक खोंता बही ग्राम खोंता में एक बड़ा कब्रिस्तान एवं दूसरा खोंता कब्रिस्तान है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में खोंता में शेष बचे दो कब्रिस्तानों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जो निविदा प्रक्रिया में है, जल्द ही इसको करवाया जायेगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः महोदय, शिवहर जिला में तरियानी प्रखंड खोंता एवं खोंता बीबी टोला यह काफी घनी आबादी का टोला है जो काफी उपेक्षित एवं पिछड़ा इलाका है । महोदय, यह नक्सल प्रभावित एरिया भी है, यह भौगोलिक रुप से भी काफी पिछड़ा टोला है, बाढ़ एवं बरसात के समय काफी पानी इस कब्रिस्तान में जमाव भी रहता है । महोदय, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण जानवरों का गलत तरीके से जमावड़ा लगा रहता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जितना जल्द हो इसे करवाने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्या श्रीमती सुनीता जी, माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में घेराबंदी करवा रही है सरकार ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहानः जी । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 462(मा0सदस्य श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का कुछ भाग सीवान जिलान्तर्गत और शेष भाग सारण जिलान्तर्गत आता है ।

खण्ड 2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय से प्रखंड बसंतपुर की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है । जिला बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्प्रति कोई विशेष अर्हता निर्धारित नहीं है । मतलब कि कोई डिस्ट्रिक्ट बनाने का कोई मापदंड नहीं है, माननीय सदस्य जैसा

कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का क्षेत्र है, तो वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला एवं अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु माननीय मंत्री के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के अन्तर्गत प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिव की समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक ईकाइयों के पुर्नगठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । इस प्रकार विहित नीति के अनुसार प्रखंड और जिला बनाने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार में 38 जिला है, दो प्रखंड पर दो जिला बनाया गया है पूर्व में शिवहर और शेखपुरा, जब तीन प्रखंड और दो प्रखंड पर जिला बन सकता है, 37 जिला में पुलिस जिला को लेकर जिला का दर्जा दी गयी है, तो महाराजगंज कौन सा अपराध किया है, क्या वह बिहार का नहीं है जिला, जबकि वह संसदीय क्षेत्र है, अगर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र अपराधी हो, तो माना जा सकता है कि जिला का दर्जा नहीं दिया जा सकता लेकिन जब आपने 37 को दिया है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं और जानना चाह रहा हूँ कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र को क्यों नहीं जिला का दर्जा दिया जायेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: पहले आप बैठिये तो । महोदय, जिस किसी ने भी बनाया हो, ये उनसे पूछे कि क्यों बनाया गया लेकिन जिला बनाने से ही राज्य का विकास हो जायेगा, यह कोई सिद्धांत और थ्योरी है नहीं । माननीय सदस्य ने कहा, एक कमिटी बनी हुई है, जो प्रक्रिया है, उसका निर्वहन करते हुए उसपर अपेक्षित कार्रवाई की जायगी ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: महोदय, जो रिपोर्ट आया है 31 किलोमीटर का, रिपोर्ट देने वाला लगता है कि पागल है, चाहे सरकार के मंत्री जी पागल है । महोदय, 50 किलोमीटर का डिसटेंस है..... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, अभी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अभी किसी तरह का जिला नहीं बनेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके लिए एक कमिटी बनी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कमिटी में कौन लोग हैं और तीन साल, चार साल, पॉच साल में क्या कमिटी की एक भी बैठक.....(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इसके लिए अलग से प्रश्न करेंगे तो जवाब देंगे, ये पुराने लोग हैं, ये अलग से प्रश्न करें .....(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिदिदकी: महोदय, ये माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं अलग से, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार है पूरक पूछने का विषय से संबंधित, चूंकि उन्होंने ही कहा कि इसके लिए कमिटी बनी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कमिटी की आज तक क्या एक भी बैठक हुई है या नहीं हुई है ?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सिदिदकी साहब, जैसा आपने कहा कि पूरक पूछने का आपका अधिकार है, जो सुरक्षित है आपका, आपने पूरक पूछा, उसी तरीके से माननीय मंत्री जी को भी जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है, उन्होंने जवाब दिया । चलिये । माननीय सदस्य श्री आलोक मेहता जी के प्रश्न का जवाब दीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: नहीं महोदय । यह सदन सर्वोपरि है, जब क्वेशचन पुटअप हो जाता है इस हाउस में तो यह पूरे सदन की प्रोपर्टी हो जाती है और जब माननीय मंत्री जी ने कोई सवाल का उत्तर दिया और उससे कोई पूरक सवाल उठता है, तो यह हमें पूछने की जिम्मेदारी है, तो कम से कम ये बतायें न कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई है ?

अध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न कीजिये तो ये अलग से बता देंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, ये किसको बता देंगे ? अलग से कैसे बता देंगे ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य श्री सिद्दिकी साहब, विजेन्द्र बाबू आपसे अलग से भी कुछ रिश्ता रखना चाहते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जरा सुनिये तो । सदन सर्वोपरि है लेकिन सदन नियम एवं प्रक्रिया के तहत चलती है । जब हम खड़े हैं, तो आप खड़े कैसे है, डंडा की तरह ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब तक हम बैठेंगे नहीं, तो ये खड़ा कैसे होंगे, आप अनुमति दीजियेगा तब ये खड़े होंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: हम माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर खड़े हुए हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: नहीं । अभी आपने अध्यक्ष महोदय से अनुमति नहीं ली है ।

अध्यक्ष: अभी दोनों आदमी आलोक मेहता जी की मदद कीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी ने श्री आलोक मेहता जी को पुकारा है, आपको कोई हक नहीं है, खड़ा होने का । चलिये बैठिये ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सिद्दिकी साहब, अब सदन चलने दीजिये । माननीय मंत्री गृह विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 463(मा0सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य अपराध जैसे हत्या एवं डकैती की अपराधिक घटनाओं में कमी आयी है, लूट की घटना में थोड़े वृद्धि के संकेत हैं, इसलिए जिला पुलिस द्वारा ठोस सुरक्षात्मक एवं निषेधात्मक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अपहरण के कांडों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुमशुदा एवं लापता व्यक्ति से संबंधित घटनाओं की सूचना पर प्रारंभ में ही प्राथमिक दर्ज करने के कारण दर्ज कांडों में वृद्धि प्रतिवेदित हुई है ।

खण्ड 2: उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस की कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव हेतु समय-समय पर पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में आधुनिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/ 8-7-19

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, माननीय मंत्री जी के इस जवाब का कि अपराध और हत्या में, विभिन्न तरह के अपराधों में कमी आयी है, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में जो अखबारों से लेकर और जमीनी हकीकत को देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें वृद्धि हुई है और वृद्धि इतनी ज्यादा आयी कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी को अपराधियों से निवेदन करना पड़ा कि 15 दिन अपराध नहीं करें तो इतनी भयावह ..

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ कि जब ऐसे अपराधों में कमी आयी है, तब आये दिन अभी विभिन्न जगहों पर जो लगातार घटनाएं हो रही है, उसका आंकड़ा सरकार को सदन के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें वृद्धि हुई है या घटोत्तरी हुई है और दूसरा कि सरकार के पास आधुनिक हथियार जो पुलिस को मुहैय्या कराया जाना चाहिए था या जिसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था उसमें भी कमी महसूस हो रही है और प्रतीत हो रहा है कि उससे ज्यादा आधुनिक हथियारों के साथ अपराधी और उससे ज्यादा कौशल के साथ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और तीसरा कि जो अपराध हो रहे हैं, उसको दर्ज कराने के लिए थाने में जाने पर, जो दर्ज कराने वाला व्यक्ति है वह महसूस करता है कि वह खुद अपराधी है, उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, हमलोगों को आज कल पैरबी इसी बात के लिए करनी पड़ती है कि ये जेनिउन केस है, इसको आप दर्ज करवाईए । कई बार कहने के वाबजूद ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी वह अपराध करने वाला नहीं दर्ज कराने वाला

व्यक्ति है तो क्या प्रशिक्षण जो चल रहा है उसमें पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आम जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर रोकथाम लग सके ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य नौजवान भी हैं और अनुभवी भी है, पार्लियामेंट में भी मेम्बर रह चुके हैं और उन्हें पैतृक बुद्धि भी हासिल है । इसमें कहीं दो राय नहीं है, एक व्यापक प्रस्ताव अगर ये दें तो हम इनका स्वागत करेंगे कि जीरो अपराध कैसे हो, अपराध बढ़े नहीं । भाई, दुनिया बदल रही है अब साईबर क्राईम, इसके बारे में पहले कोई सुनता नहीं था लोग लेकिन उद्‌भेदन कितने होंते हैं उसे अखबार में लोग नहीं पढ़ते हैं । आज भी अखबारों में है कि कई एक उद्‌भेदन हुआ है और उसमें गिरफ्‌तारी भी हुई है तो ये दुनिया में चलता रहता है और आपने जो कहा, निश्चित रूप से प्रशिक्षण में उसको बतलाया जाता है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको क्या कीजियेगा । इसीलिए अपेक्षित कार्रवाई होती है जब शिकायत मिलती है, कई लोगों पर सस्पेंशन की भी कारवाई हुई है, कई को बर्खास्त भी किया गया है तो इसीलिए इसमें कोई गवर्नमेंट अचेत है सो बात नहीं है, सम्पूर्ण चीजों में सरकार सेंसिटीभनेस के साथ कार्रवाई करती है ।

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि अपराध में कमी आयी है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसकी जानकारी चाहिए और दूसरी बात पुलिस की कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव और बेहतर प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने क्या किया, इस संबंध में भी उत्तर नहीं मिला, दोनों पर मंत्री जी बतलायें ।

अध्यक्ष: वह तो आंकड़े होंगे न, आंकड़े तो लम्बे चौड़े होंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, सदानन्द बाबू आपकी जगह पर भी बैठे हुए हैं, ये पुराने लोग है । गृह विभाग का डिमांड जब आयेगा तो उसमें व्यापक तौर पर, हम सदानन्द बाबू का स्वागत भी करेंगे कि वह अपनी सम्पूर्ण अनुभवों को शेयर करें सदन के साथ, सरकार उसको एक्जामिन करेगी ।

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नों पर मैं पूछ रहा हूँ गृह विभाग पर, गृह विभाग के दिन आयेगा तो पूछेंगे लेकिन आज ये देने के स्थिति में नहीं है, ये तो कबूलें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 464(श्री जिवेश कुमार)

श्री जिवेश कुमारः पूछता हूँ।

अध्यक्षः आपने उत्तर पढ़ा नहीं, क्या जिवेश जी ?

श्री जिवेश कुमारः नहीं पढ़ पाये सर..

अध्यक्षः हम फिर से माननीय सदस्यों से अनुरोध करते कि विभाग से जो ऑनलाईन जवाब आता है वह अपलोडेड है, जैसे आपके प्रश्न का । अगर आप उत्तर पढ़ के आईयेगा तो सदन का समय बचेगा और अधिक से अधिक प्रश्नों का निष्पादन हो सकेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः एक बात महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अखबार में 2-3 दिन पहले ये बातें आयी कि विभिन्न विभागों से ऑनलाईन जवाब नहीं आता है तो सरकार सचेष्टपूर्वक आपकी जो प्रतिक्रिया थी, उसको किया गया ।

अध्यक्षः इसके लिए तो धन्यवाद है आपको ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः(1)स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक दिनांक 4-7-19 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थानाध्यक्ष, जाले को संबंधित स्थल पर पुनः अतिक्रमण नहीं हो, के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा अंचल अधिकारी, जाले एवं थानाध्यक्ष, जाले से स्पष्टीकरण पूछा गया है, साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सुसंगत धारान्तर्गत जाले थाना कांड संख्या-95/19 दिनांक 4-7-19 दर्ज की गयी है एवं 15 दिनों के अन्दर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा ली जायेगी ।

श्री जिवेश कुमार: धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 465(श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री यदुवंश कुमार यादव: पूछता हूॅ ।

अध्यक्ष: आपका भी उत्तर दिया हुआ होगा, नहीं पढ़े हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:(1) वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला के पीपरा प्रखंडन्तर्गत ग्राम कटैया स्थित लाल खां दरगाह (कब्रिस्तान) घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में दर्ज नहीं है । कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से संबंधित मार्गदर्शिका 14 की कंडिका में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक उन्हें अपने प्राप्त निधि से भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: महोदय, यह लाल खां दरगाह कब्रिस्तान ही नहीं है, ये हिन्दू और मुसलमान के आस्था का केन्द्र है । प्रत्येक वर्ष उर्स में वहां हिन्दू व्यापक रूप में आते हैं और जब मन्नत पूरी होती है तो वहां चढ़ावा करने का काम करते हैं। यहां हिन्दू का ही सही मायने में वहां मेला लगता है और वहां चारों तरफ से बड़ा सा दरगाह है 44-45 एकड़ का और चारों तरफ से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उसकी जो पवित्रता है उस पर लोगों के द्वारा बराबर किसी न किसी तरह से, वहां कोई न कोई उसके चलते घटनाएं होती रहती है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूॅ कि इस दरगाह की महत्ता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इसका अबिलम्ब घेराबंदी कराया जाय ।

अध्यक्ष: यदुवंश जी, आपने प्रश्न में अतिक्रमण का जिक्र नहीं किया है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: नहीं किया है ।

अध्यक्ष: क्योंकि अतिक्रमण अलग बात है..

श्री यदुवंश कुमार यादवः लेकिन बड़ा सा है माननीय मंत्री जी भी इस स्थल को जानते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जानते हैं तब क्या कहना ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इसमें दरगाह का जिक्र माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में ही किया है तो दरगाह की घेराबंदी करने का कोई सरकार का निर्णय नहीं है, केवल कब्रिस्तान का करना है और कब्रिस्तान में भी ये कौन्सेप्ट नहीं है कि 100 प्रतिशत करना ही है, जहां विवाद होता है उसको ऐभोयाड करने के लिए प्राथमिकता सूची के आधार पर डी0एम0 एस0पी0 मिलकर, उसका एक नियम भी बना हुआ है उसमें बारी बारी से होगा और बाकी अगर..

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः ये जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना हमलोगों ने शुरू की, उसके पहले पूरे बिहार में इसका सर्वेक्षण गृह विभाग ने कराया और 8064 लगभग, यानी 8 हजार से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान का चयन किया गया और उसकी घेराबंदी का ही नियम बनाया गया और उसके लिए, उसकी प्राथमिकता के लिए डी0एम0 और एस0पी0 को अधिकृत किया गया । वही दोनों तय करते हैं, अगर किसी जिले में कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी है तो पहले किस कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी यह वे लोग ही तय करेंगे । अभी जो कुछ भी चल रहा है वह 8 हजार 64 कब्रिस्तान के घेराबंदी की योजना चल रही है । इसके अलावे आप और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वह अलग विषय है, या दरगाह की बात कर रहे हैं वह उसमें शामिल नहीं है लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी का जो नियम है, अब लगभग 75 प्रतिशत के करीब घेराबंदी हो चुकी है और हमने अभी हाल में समीक्षा किया है, इसमें हमने इसके लिए निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र बाकी कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करा दें और उन्हीं कब्रिस्तानों में से एक तो प्राथमिकता डी0एम0 और एस0पी0 निर्धारित करते हैं लेकिन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है उसके अन्तर्गत माननीय विधायक को विधान पार्षद को यह अधिकृत किया गया है कि वे चाहें तो उसके अन्तर्गत करा सकते हैं उसकी घेराबंदी लेकिन उस कब्रिस्तान का उस सूची में शामिल होना जरूरी है 8064 में, उसके अलावे बाली बात नहीं है । पहले इतने कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाये और उसका जो सर्वेक्षण हुआ है, यह गड़बड़

नहीं है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है 8064 कब्रिस्तान (व्यवधान) भई, गलत सूची है, यह कब की सूची है ये 2006 से है और (क्रमशः)

टर्न-5/मधुप/08.7.2019

...क्रमशः...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : गलत है तो इसके बारे में तो आपलोगों ने कोई बात नहीं बताई है । कितने साल से यह चल रहा है ? यह 12 साल से चल रहा है । उसकी घेराबंदी हो रही है और इसके लिए डी0एम0 और एस0पी0 को अधिकृत किया गया है कि अपने जिले में वे प्रॉयोरिटी करेंगे और उसके लिए फंड का एलोकेशन होता है, बजट से फंड का एलोकेशन है, वह किया जा रहा है ।

मैंने कहा कि अभी जितने कब्रिस्तान को चिन्हित किया जा चुका है, उसका शीघ्रातिशीघ्र कब्रिस्तान के कार्य को पूरा करने का अभी निर्देश अभी पुनः हमने एक समीक्षा बैठक में हाल ही में दिया है । यह बात हमने कही है लेकिन इसके अलावे और कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, इसके बारे में आपलोगों का अगर कोई विचार है तो इसको अलग से लिखकर देना चाहिए । उसके बारे में 8064 के बाद सोचा जा सकता है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, यह दरगाह नहीं है, यह कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के मध्य में दरगाह है और उस दरगाह पर जाने के लिए कब्रिस्तान होकर ही गुजरना पड़ता है । उसी क्षेत्र में वह दरगाह भी है ।

अध्यक्ष : इसमें दरगाह और कब्रिस्तान दोनों आपने लिखा है और कब्रिस्तान तो मानते हुए सरकार ने जवाब दिया है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : कब्रिस्तान का अगर घेराबंदी हो जाता है तो दरगाह तो बीच में घेरा में आ ही जायेगा ।

महोदय, अगर वह सूची में नहीं है तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जॉच करवा कर इसको सूची में सम्बद्ध कराकर इसकी घेराबंदी करा दी जाय ।

अध्यक्ष : आपने तो कहा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं इस मामले को, जॉच करा लेंगे ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : जानते हैं, कटैया को जानते हैं, इस स्थल को जानते हैं ।

अध्यक्ष : मो0 नेमतुल्लाह जी ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से, जो प्राथमिकता से बाहर भी करने की अनुमति है, वह तो है ही, आप करायेंगे ही । जो हमलोगों का ऐच्छिक कोष है उससे अलग जो घूमकर देख रहे हैं, वह जरूरी है, यहॉ करा दिया जाय ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी 8 हजार का जो डाटा दिये हैं, उसमें कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, कितना बाकी है ?

अध्यक्ष : बोले हैं कि 75 प्रतिशत लगभग हो गया है ।

श्री भोला यादव : दूसरा, जो कमिटी है....

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-466 : श्री मो0 नवाज आलम । गृह विभाग ।

(व्यवधान)

अब इसपर छोड़ दीजिये भोला जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : इसके लिए कोई कमिटी नहीं है । एक मिनट बैठ जाइये, बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिये । पूरे बिहार में वैसे कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया है, जहॉ पर विवाद उत्पन्न होता है या विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है यानी ज्वायंट पोपुलेशन है, उन सब एरिया को ध्यान में रखते हुये उसको चिन्हित करके उसका चयन किया गया है और उसके बाद उसकी घेराबंदी की जिम्मेवारी डी0एम0 और एस0पी0 को दी गई है । वही जिले में तय करते हैं कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी पहले करा देनी है, यह अधिकार उन्हीं को दिया गया है ।

अभी आपको बता दिया कि लगभग 75 परसेंट की घेराबंदी हो चुकी है और मैं पुनः बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बाकी की घेराबंदी की बात

हो जाय, एक बार एक काम हो जाय, जो विवादित स्थल रहे हैं या कुछ भी उस तरह की संभावना होती है, यह हो जाय तो उसके बाद और भी कोई काम हो, अभी मंदिरों के घेराबंदी के लिए भी नियम बनाया गया और उसमें भी सरकार करती है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत माननीय विधायकों को, विधान पार्षदों को भी अधिकृत किया गया कि अगर वे चाहें तो अपने फंड से करा सकते हैं, उसको भी चयनित किया गया है ।

इस तरह से पहले एक बार तो ऐसे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जायेगी । अभी कोई और बात बता रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी अगर इनके पास और है तो दे देंगे, जानकारी ली जायेगी कि क्या बता रहे हैं । अगर ऐसा कुछ है जिसमें दोनों तरह के पोपुलेशन हैं, क्या है, उस तरह के कब्रिस्तान को इसमें चयनित किया गया है, नहीं किया गया है, सारे मामले को दिखवा लिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 466 (श्री मोहम्मद नवाज आलम)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु नई प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी जिसकी प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, आरा को दी गई है।

2- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, आरा द्वारा प्राथमिकता की सूची के अनुरूप 40 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन तैयार कर जिला पदाधिकारी, भोजपुर को समर्पित किया गया है । उक्त कब्रिस्तान की स्थानीय जॉच सीमांकन प्रतिवेदन हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा पत्र भेजने की कार्रवाई की गई है । नई सूची के अनुसार आरा विधान सभा क्षेत्र की कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताने का काम किया है कि आरा विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिकता सूची में 40 कब्रिस्तान

की सूची दी गई है लेकिन हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सूची जाने के लगभग छः माह के बाद भी आज तक उन कब्रिस्तानों का कहीं कोई नापी नहीं हुआ और न उस नापी करने के बाद उन चीजों को कोई संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई की गई । मैं स्पष्ट तरीके से सदन को विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो आपको सूचनाएँ दी गई हैं कि उनकी नापी कर ली गई है, यह पूरी तरह झूठ है । इसलिए हम सदन के माध्यम से चाहते हैं कि एल0ई0ओ0-1 पर कार्रवाई हो ताकि आरा विधान सभा क्षेत्र के कार्यकाल में आज तक कोई सूची नहीं बन पाई, कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ आज विवाद है, वैसे लोगों के कारण वहाँ विवाद होगा, सरकार बदनाम होगी, क्या सरकार वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : लगता है कि माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर के समय कहीं अलग ध्यान रखे हुये थे ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : सुन रहे थे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुन तो लीजिये कि मैंने क्या कहा । कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, आरा ने प्राथमिकता सूची के अनुरूप 40 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन तैयार कर जिला पदाधिकारी....

श्री मोहम्मद नवाज आलम : यही तो महोदय, मैं कहा रहा हूँ....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुन तो लीजिये । कलक्टर को दिया है, जाकर कलक्टर से पूछिये ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : पूछ चुके हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पहले पूरी बात सुन लीजिये । सुनने को तैयार नहीं हैं, अति उतावला हैं !

उक्त कब्रिस्तान की स्थानीय जाँच सीमांकन प्रतिवेदन हेतु संबंधित अधिकारी को जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा पत्र भेजने की कार्रवाई की गई है। नई सूची के अनुसार विधान सभा क्षेत्र के कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु अग्रेतर

कार्रवाई की जा रही है । मैंने नहीं कहा कि कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई की जा रही है । पिछले दिनों तीन महीने चुनाव थे, सारे काम स्थगित थे, थोड़ी देर तो होगी ही, यह तो व्यवहारिक बात है ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : महोदय, आपने जो जवाब में दिया है कि प्राक्कलन की सूची कलक्टर को दे दी गई है । मैं इस सदन में आपके पास दावे साथ कह सकता हूँ कि वह सूची नहीं उपलब्ध कराई गई है । इसलिये हमें जानकारी है, जिस 40 कब्रिस्तान की सूची है, एक-एक बिन्दु को जाकर मैंने जॉच करने का काम किया है इसलिये सदन के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि वैसे एल0ई0ओ0, अगर वह दिया है, नहीं दिया तो क्या कार्रवाई करने पर विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अगर किसी अफसर ने यह गलत रिपोर्ट दिया, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अविलंब कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-467 (श्री मुजाहिद आलम)

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ा है आपने ? उत्तर दिया हुआ है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि कब्रिस्तान के क्षतिग्रस्त चहारदिवारी की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बनाने का निर्देश जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिया गया है। विभाग स्तर से जिला पदाधिकारी, किशनगंज को प्रश्नगत कब्रिस्तान की क्षतिग्रस्त चहारदिवारी की मरम्मति नियमानुसार कराने का निर्देश दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 468 (डॉ0 अशोक कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-2651 दिनांक-30.8.2001 द्वारा समस्तीपुर जिला के रोसड़ा को नगरपालिका से नगर पंचायत, रोसड़ा के रूप में घोषित किया गया था । किसी अनुमंडल को जिला बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्प्रति कोई विशिष्ट अर्हता निर्धारित नहीं है । विहित तरीके से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

जिला, प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित है और सेक्रेटरी लेवेल पर प्रस्ताव का मोनिटरिंग किया जाता है, नीचे जिला पदाधिकारी से प्रस्ताव आता है, इसके बाद ही इसपर विचार करने का है । अभी फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

डॉ0 अशोक कुमार : महोदय, जैसा कि प्रश्न सं0-462 इसी तरह का है, उसमें जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया, इसी प्रकार के प्रश्न पूरे कार्यकाल में कई बार पूछे गये माननीय सदस्यों की ओर से तो यही जवाब बार-बार मिलता है कि मंत्रियों के समूह का गठन कर दिया गया है, पदाधिकारियों की कमिटी बना दी गई है और प्रस्ताव जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से माँगा गया है ।

मैं जानना चाहता हूँ कि आज तक जब से ये कमिटियाँ बनी हैं, उन जिलों से जिनसे यह प्रस्ताव माँगे गये हैं, किसी जिला से कोई प्रस्ताव आया है क्या ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अभी फिलहाल जिला, प्रखंड, अनुमंडल बनाने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, मैंने अपने जवाब के अंत में अभी कहा । इसीलिये हमेशा यही जवाब आता है कि यही प्रक्रिया है । जब बनने लगेगा और अगर आपका छूट जायेगा तब न ! अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई बनेगा ही नहीं ।

टर्न-6/शंभु/08.07.19

डा0 अशोक कुमार : मेरा कहना है कि आपने प्रस्ताव मांगा है जिला से जो कि सरकार का उत्तर है कि हमने विभिन्न जिला पदाधिकारियों को लिखा...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वह तो आयेगा न सदन में । क्या आया है नहीं आया है, वह आप अलग से प्रश्न कीजिए ।

डा0 अशोक कुमार : एक भी प्रस्ताव नहीं आया है मैं जानना चाहता हूँ । अभी सिद्दिकी साहब के जवाब के क्रम में आपने कहा ।

तारांकित प्रश्न सं0-469(श्री भोला यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : खण्ड-1 स्वीकारात्मक है ।

खण्ड-2 वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के थाना ओ0पी0 में कुल 449 सिम पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया है । संबंधित पुलिस अधीक्षक को कार्यालय व्यय से मोबाइल सेट क्रय करने का निदेश दिया गया है । पुलिस अधीक्षकों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है । दरभंगा जिले में 26 थाना को सरकारी सिम उपलब्ध कराया गया है । शेष थाना, ओ0पी0 को सरकारी सिम उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

खण्ड-3 उपर्युक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : आपकी बात तो सरकार ने मान ली है ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है अभी दरभंगा जिले का ये जो आंकड़ा दिये हैं 26 थाना, ओ0पी0 को ये सिम दिये हैं जबकि हमारे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जो थाना है और ओ0पी0 है उसमें से सोनकी, मोरो, फतिला, पतोर और मब्बी कुल 7 थाना ओ0पी0 मिलाकर के 5 में मोबाइल नहीं है जिसके चलते जब-जब थाना प्रभारी का स्थानान्तरण होता है तब-तब मोबाइल

नंबर बदल जाता है जिससे आमजन को भारी कठिनाई होती है तो क्या माननीय मंत्री जी इन थानों में एक सप्ताह के अंदर मोबाइल मुहैय्या कराना निश्चित करेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, समीक्षा के दौरान मैंने रात ही कहा कि जहां-जहां नहीं हुआ है अविलंब उसपर कार्रवाई की जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-470(श्री अमित कुमार)

अध्यक्ष : आपने ऑनलाइन उत्तर देखा है ?

श्री अमित कुमार : सर, नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष : हम फिर से माननीय सदस्यों से कहते हैं कि आप ऑनलाइन प्रश्न करते हैं तो सदन में आने से पहले ऑनलाइन उत्तर जरूर चेक कर लीजिए इससे सदन का समय बचेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान के एक भाग जिसकी लंबाई 100 फीट है और जिसकी चौड़ाई 50 फीट है, की घेराबन्दी बाकी है । शेष अन्य भागों की घेराबन्दी पूर्व में की जा चुकी है । यह कब्रिस्तान जिले के प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । उक्त कब्रिस्तान में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्रश्नगत कब्रिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी पूर्ण घेराबन्दी करने का निदेश दिया गया है । कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । इसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका 214 की कंडिका-6/34 में भी कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक उन्हें प्राप्त निधि से भी कब्रिस्तान की घेराबन्दी करा सकते हैं ।

श्री अमित कुमार : सर, यह अधूरा कब्रिस्तान है इसलिए हमने कहा था । हमलोग जब लिखते हैं कब्रिस्तान घेराबन्दी का तो हमेशा योजना पदाधिकारी के द्वारा वापस कर दिया जाता है और बोला जाता है कि यह लिस्ट में नहीं है और लिस्ट हमलोगों के पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, रात ही मैंने कलक्टर एस0पी0 दोनों से बात करके कहा कि जो अपूर्ण है उसके लिए अपेक्षित कार्रवाई आप अविलंब करवाइये ।

श्री अमित कुमार : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-471(श्री अनिल सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प सं0-10000, दिनांक-10.07.15 के क्रम में पत्रांक-11398, दिनांक-23.08.16 द्वारा पत्र निर्गत है । जिसमें प्रोन्नति के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित नहीं की जानी है, परन्तु उक्त पत्र के अंतिम कंडिका में यह प्रावधान है कि पद रिक्त रहने से कार्य की अपूरणीय क्षति होगी तो ऐसे पदों पर संविदा के आधार पर सेवाधिक सरकारी सेवकों का नियोजन किया जा सकता है । उक्त प्रावधान के तहत जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा 4 कर्मियों को समकक्ष पद पर नियोजित किया गया है ।

खण्ड-2 आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समाहरणालय बेगुसराय में कुल 2 प्रधान लिपिक कार्यरत है । शेष रिक्त पदों पर 44 के विरूद्ध संविदा के आधार पर मात्र 4 सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक के समकक्ष पद पर नियोजित किया गया है । शेष 43 पद रिक्त हैं ।

खण्ड-3 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वर्तमान में कुल स्वीकृत लिपिक के 328 के विरूद्ध जिले में मात्र 176 लिपिक कार्यरत हैं । उक्त कर्मियों में से ही वर्तमान में प्रधान लिपिक के कुल 37 रिक्त पदों के विरूद्ध वरीयता के आधार पर नियम अनुसार प्रोन्नति दिया जाना है । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के आदेश सं0-566, दिनांक-11.04.19 द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश दिनांक-01.04.19 के आलोक में राज्याधीन सेवा में प्रोन्नति अगले आदेश तक स्थगित रखी गयी है ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 49 के विरूद्ध 2 पद प्रधान लिपिक का है, शेष 37 पद रिक्त है । इन्होंने कहा है कि पत्रांक-11398, दिनांक-23.08.16 के द्वारा जो रोक लगायी गयी थी, लेकिन लास्ट की कंडिका में इन्होंने कहा कि समाहर्त्ता को निदेशित किया गया है कि पद अगर रिक्त है तो रिक्ति के विरूद्ध वहां जो कर्मी है उसमें से प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नति दी जा सकती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 37 पद रिक्त है उसके विरूद्ध ये समय सीमा निर्धारित करते हुए जिलाधिकारी को निदेश देना चाहेंगे कि वह 37 पद जो रिक्त है उन पदों पर प्रोन्नति देते हुए उन लिपिक को वहां स्थापित किया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन को रोक लगा रखा है चूंकि वह जो आरक्षण का विवाद है सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट उसको रोके हुए है तो रात हमलोगों ने डिस्कशन किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और वह जब सुप्रीम कोर्ट से ओ0के0 हो जायेगा उसके बाद फिर अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, तब तक तो वहां कार्य सफर करेगा और 49 पद के विरूद्ध मात्र 2 प्रधान लिपिक है । ऐसी स्थिति में सरकार पदोन्नति देना चाहती है तो कंडिशनल आधार पर दे दे कि कोर्ट का जो भी निर्णय आयेगा उस समय उसके हिसाब से पदोन्नति प्रभावित होगी । पदोन्नति कंटीन्यू होगी या नहीं, कोर्ट के निर्णय पर आधारित होगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने एक बात का जिक्र किया कि काम सफर न करे इसीलिए जो निदेश दिया उसमें यह है कि रिटायर लोगों को काम सफर न करे इसलिए फिलहाल उसको संविदा के आधार पर कर दिया । इसलिए काम सफर नहीं करेगा और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-472(श्री प्रहलाद यादव)

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर दिया हुआ है प्रहलाद जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिलान्तर्गत किउल थाना किउर धर्मशाला वृन्दावन में स्थित है ।

खण्ड-2 वस्तुस्थिति यह है कि किउल धर्मशाला मृतप्राय था । आम लोगों का ठहरना, शादी विवाह तथा अन्य कार्यक्रम पूर्व से ही अन्यत्र होता था । आम लोगों के द्वारा उक्त धर्मशाला में असामाजिक तत्वों के रहने की शिकायत की जा रही थी । अपराधकर्मियों, नक्सलियों की गतिविधि, अवैध बालू उत्खनन, भौगोलिक स्थिति एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से नया भवन निर्माण होने तक नवस्थापित किउल थाना धर्मशाला भवन किउल में ही संचालित रखने का निर्णय लिया गया है । थाना खुलने से आम लोग सुरक्षित एवं सहज महसूस कर रहे हैं ।

खण्ड-3 उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । वस्तुस्थिति यह है कि किउल थाना एक भूमि चयनित होने, भवन निर्माण होने अथवा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने पर किउल धर्मशाला, वृन्दावन को खाली करा दिया जायेगा ।

टर्न-7/ज्योति/08-07-2019

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, जो रिपोर्ट आयी है वह बिल्कुल गलत रिपोर्ट आयी है ।

अध्यक्ष : आप अलग से लिख कर दे दीजियगा ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गलत रिपोर्ट आयी है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह यात्री के लिए बना था, न तो वहां आसामिक तत्व हैं और न नक्सल प्रभावित है । जानबूझकर ऐसा कहा जा रहा है । वहॉ कोई भी पैसा नहीं । वह पहले से अप डू डेट है धर्मशाला । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उक्त धर्मश्साला को मुक्त कराना चाहते हैं ? धामिर्क न्यास परिषद् से संबंधित है, उसने भी कहा था 'नहीं '-खाली कीजिये तो उस बात को भी नहीं माने तो मान लीजिये कि जब प्रशासन आदेश का पालन नहीं करता

है तो आम पब्लिक का क्या होगा इसलिए हम जानना चाहते हें कि उसको खाली कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जैसा जिक्र किया रात ही मैंने कहा अविलम्ब भूमि की उपलब्धता को देख लिया जाये नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवव्था में उसको स्थानांतरित किया, उसको खाली कराने की कार्रवाई की जाय ।

श्री प्रहलाद यादव : कबतक हो जायेगी व्यवस्था ?

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

शून्य काल

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड के किसान गन्ना की खेती पर ही आश्रित हैं लेकिन गन्ना सुधार अनुसंधान केन्द्र के नहीं रहने के कारण उन्हें गन्ना खेती की नयी तकनीक की जानकारी का अभाव है । किसान हित में रीगा चीनी मिल में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जाय ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत कुदरा –चेनारी एस.एच. पथ सिलरुआ होते हुए एन0एच02 सबराबाद को जोड़ने वाली सड़क में छितराटांड गांव के पास पुल जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है, सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पुल की शीघ्र निर्माण करावे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिला से होकर एन.एच.2 एन.एच. 83, एच.एच. 99 एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कें गुजरती हैं सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है, जन हित में शेरधाटी अनुंमंडलीय अस्पताल के पास ट्रामा सेंटर के निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी नगर परिषद् अंतर्गत गिलेशन बाजार में उपलब्ध जमीन पर खुदरा और होल सेल सब्जी मण्डी (वेन्डिंग जोन) निर्माण हेतु नगर परिषद् से नगर विकास को प्रस्ताव भेजा गया था आवंटन अभाव में निर्माण नहीं हो रहा है । अतः आवंटन की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर चौक से कटहा जाने वाली पथ काफी जर्जर हो चुकी है पथ जर्जर होने से ग्रामीण को आवागमन में काफी दिक्कत हो रहा है अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि उक्त वर्णित पथ का जीर्णोद्धार कराया जाय ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, राज्य के अंतर्गत स्वच्छ भारत मीशन के तहत शौचालय विहीन 80 प्रतिशत परिवारों में शौचालय का निर्माण हो गया है लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होने से गीरब लोगों को काफी परेशानी हो रही है अतः शौचालय बनाने वाले लाभुकों के बकाये राशि के भुगतान हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सुबोध राय : महोदय, दिनॉक 16 जुलाई 2019 से भागलपुर जिला के सुल्तानगंज उत्तरवाहिणी गंगा घाट से विश्व विख्यात श्रावणी मेला का प्रारम्भ और उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है किन्तु लगातार कटाव के कारण हाटों की स्थिति बदतर औरा खतरनाक है । कावड़ियां पथ पर महीन बालू के बदले मिट्टी और नुकीले

कंक्रीट युक्त बालू बिछाया जा रहा है । अतः मैं इस सरकार से उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर तत्काल कटाव निरोधक कार्य एवं महीन बालू से कावंड़िया पथ को कीचड़ मुक्त और सुगम बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सहार और तरारी प्रखंड अस्पतालों की घेराबंदी नहीं रहने के कारण साफ सफाई और सुरक्षा संबंधित कई समस्याओं से वहॉ के चिकित्सकों कर्मचारियों को रोज दिन जूझना पड़ता है जनहित में सहार और तरारी प्रखंडों में अस्पताल परिसरों की तत्काल घेराबंदी की सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अवधेश जी बताईये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह ने बड़ा गंभीर मामला उठाया था कि औरंगाबाद के डी.पी.ओ. ने एक शिक्षक को छत से नीचे बिग दिया । शिक्षक की कमर और पैर टूट गया है जिसका इलाज चल रहा है हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि इसकी जॉच अविल्ब या तो कमीशनर से या जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मांग कर उसपर उचित आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करायी जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब ध्यानाकर्षण सूचना । श्री जिवेश कुमार..

श्री सदानंद सिंह : और एक तथ्य है वह तीन चार बार वही ट्रांसफर होकर वहीं चला जाता है जो एक सोचनीय और गंभीर विषय है ।

अध्यक्ष : नहीं, अगर किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी ने किसी शिक्षक को ऊपर से फेंक दिया है तो यह गंभीर मामला है और अगर पॉच छः बार वहीं पर वह अधिकारी हैं तो निश्चित रुप से सरकार उसको देखेगी ।

ध्यानाकर्षण सूचना श्री जीवेश कुमार, सूचना पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री जिवेश कुमार, सुधांशु शेखर एवं अन्य छह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सहकारिता विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.) में प्रावधान किया गया है '' उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लम्बित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो तथा नियम -24-प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा, यदि नियम-23 में उल्लिखित कोई भी अयोग्यता आ जाय ।'' इस नियम की गलत व्याख्या कर निर्वाचित मंत्री/अध्यक्ष पर संज्ञान

कराकर उसे अयोग्य किया जा रहा है । पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐक्ट जिसके तहत जन प्रतिनिधि (मुखिया से सांसद तक) निर्वाचित होते हैं, में प्रावधान है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपने पद से अयोग्य तब होंगे जब वे न्यायालय द्वारा दोषी घोषित कर दिए जायेंगे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पेटिसन नं0 536/2010 में दिनॉक 26.06.2018 का नियमन दिया गया है कि दागी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक वे न्यायालय द्वारा अपराधी न घोषित कर दिए जांय ।

अतः बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की नियम 23(1/च)(2ड.), 24 के प्रावधान में संशोधन करते हुए संज्ञान के स्थान पर सजायाफ्ता जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जिवेश जी और इनके साथ जिन सदस्यों ने यह सवाल उठाया है उनको धन्यवाद देता हूँ कि बढ़िया प्रश्न इन्होंने उठाया है और सरकार ने इसपर संज्ञान लेते हुए इनको विशेष रुप से इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रश्न के पहले भी लगातार हमारे संपर्क में रहे । सरकार का उत्तर तैयार है सकारात्मक है और संज्ञान शब्द को हटा दिया गया हे मैं उसको पढ़ देता हूँ ।

सहकारी समिति व्यक्तियों/समितियों का एक समूह है जिसका संचालन उसके सदस्यों के आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है । सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी एवं पदधारकों पर समिति के सदस्यों के हित में समिति के संचालन के साथ समिति के सदस्यों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना भी है । इसको सुनिश्चित करने हेतु बिहार सहकारी सोसाइदटी नियमावली, 1959 में कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसलिए सहकारी समितियों के संबंध में कानपूनी व्यवस्था जन प्रतिनिधित्व कानून से भिन्न है ।

बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम-23(1)(च),23(2)(ड.) के प्रावधानों के दुरुपयोग की सूचना माननीय सदस्यों एवं सहकारी समितियों से जुड़े लोगों से प्राप्त होने पर इसके संबंध में प्रावधान किया गया है यदि सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी सदस्य/पदधारक के विरुद्ध बिहार सहकारी सोसाइटी नियमवली,1959 के नियम-23(1)(च)23(2)(ड.) के प्रावधान से संबंधित कोई अयोग्यता आती है

तो जबतक बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1935 में प्रावधानित विववाद निपटारा संबंधी अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत यह निर्णय नहीं हो जाता है कि सदस्य/पदधारक के विरुद्ध लिया गया संज्ञान समिति के संव्यवहार से संबंधित है, तबतक अयोग्यता के आधार पर पदधारक का निर्वाचन प्रभावित नहीं होगा । इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक 6368 दिनॉक 05-07-2019 के द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किया जा चुका है । इससे उक्त प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना नहीं रहेगी ।

श्री जिवेश कुमार : बहुत धन्यवाद आपको । राज्य हित में अच्छे काम को करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : अब माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–8/08.7.2019/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

माननीय सदस्यगण, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा –

राष्ट्रीय जनता दल – 60 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)– 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी– 41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस– 19 मिनट
सी.पी.आई.(एम.एल.)– 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी – 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा– 01 मिनट
निर्दलीय – 03 मिनट

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 51,58,78,99,000/– (इक्यावन अरब अनठावन करोड़ अठहत्तर लाख निनानवे हजार)रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपए से घटायी जाए ।''

महोदय, 10/- रूपया घटाना तो सिम्बॉलिक है मगर इस वजह से भी संसदीय प्रणाली में यह कटौती प्रस्ताव रखा गया है कि सरकार ने जो मांग की है वह किस रूप में खर्च करती है, कितना पैसा लैप्स करती है, कितने पैसे पर काम नहीं करती है, क्या लूट मचा हुआ है, उन सारी वजहों से हमने सिम्बॉलिकली 10/- रूपए का कटौती प्रस्ताव रखा है महोदय ।

अभी माननीय मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा कि इतना करोड़, इतना लाख, तो राज्य के वित्त मंत्री ने भी जो बजट प्रस्तुत किया था महोदय, उसमें 2019-20 में स्कीम मद में 3075 करोड़ रूपया तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 2083.79 करोड़ रूपया कुल प्राक्कलन 5158.79 करोड़ रूपया का था बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री का । माननीय वित्त मंत्री ने तो पुस्तक बड़ा सुंदर छपवाया था । इनकी तस्वीर भी थोड़ी मुस्कुराती हुई है । माननीय मुख्यमंत्री का भी जितना अच्छा लग रहा है देखने में प्रतिवेदन, उतना विभाग का कार्यकलाप नहीं है । हॉ, यह बात सही है कि आज अगर आप पटना में निकलिएगा तो आपको झील, पोखर बनाने पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा इसलिए कि आज कम-से-कम घूम लीजिए, झील का नजारा ले लीजिए और कहीं अगर नौका हो तो उसका भी, नौका पर चढ़कर, काहे के लिए गंगा में जाइएगा, पटना में भी उसका आनंद ले सकते हैं महोदय ।

महोदय, मैं बहुत विस्तार से नहीं बोलकर विभिन्न योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया है । मैं बार-बार कहता हूं कि जो पैसा आप लेते हैं, उस पैसा को अगर आप शत-प्रतिशत अपनी मुश्तैदी से और आपके विभाग में सक्षमता से अगर उसको खर्च करे तो फिर लैप्स करने की जरूरत आपको नहीं पड़े । मगर जब बार-बार लैप्स करते हैं आप तो आपको उतना पैसा देने की क्या आवश्यकता है । जितना पैसा आपका पांच साल में या विगत साल में आपने लैप्स किया है उतना पैसा तो आपका कटौती कर लेना चहिए । मगर अब फिर आप कहिएगा कि बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, केंद्र की भी राशि है, वगैरह-वगैरह । अब महोदय, बगल के पड़ोसी हैं, मित्र भी हैं, इन्हीं के जिला से होकर हम दरभंगा जाते हैं मगर मुझको आश्चर्य हुआ कि स्मार्ट सिटी योजना में ठीक आपने अपना मुजफ्फरपुर रखा, ठीक है, डिर्जव भी करता है मगर आपने रखा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ । बिहार शरीफ जो एक अनुमंडल हुआ करता था, अब विकसित हुआ है जिला में तो बिहार शरीफ को आपने जरूर रखा है स्मार्ट सिटी में, मगर गया को नहीं रखा, बोधगया को नहीं रखा । दरभंगा को नहीं रखा जो मिथिला की राजधानी कहलाती है उसको स्मार्ट सिटी में नहीं रखा । श्रवण जी मुस्कुरा रहे हैं । अरे, ठीक है राज है आपका, जो ले जाना है नालंदा, राजगीर ले जाइए, मगर कम-से-कम हमलोग पर भी तो थोड़ी नजर रखिए । दरभंगा को आप छोड़ दे रहे हैं और बोधगया को छोड़ दे रहे हैं । आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास । किसका ? सेलेक्टेड लोगों का ! मंत्री जी हैं तो मुजफ्फरपुर, मुख्यमंत्री जी हैं तो नालंदा और भागलपुर डिजर्व करता ही है, भागलपुर का होना ही चाहिए था ।

(व्यवधान)

टर्न : 09/कृष्ण/08.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, जो अपने पुरखों को आदर नहीं देती है और अपनी धरोहर को संजोती नहीं है, उसको बचाती नहीं है, उसको विकसित नहीं करती है तो समझ लीजिये कि वह कौम धीरे-धीरे मरने लगता है । अब पटना में

बहुत सारे हेरीटेज बिल्डिंग्स हैं, मगर आपने किसी को हेरीटेज बिल्डिंग अभी तक घोषित नहीं किया है । मगर धन्यवाद है अध्यक्ष जी का और सरकार का जिन्होंने विधान सभा बिल्डिंग को भी हेरीटेज बिल्डिंग माना, इसके साथ छेड़-छाड़ नहीं किया और जो एनेक्सी है, जो सेंट्रल हॉल जो हाल ही में बना है, उसको अलग बनाया, मगर हेरीटेज बिल्डिंग को प्रीजर्व करके रखा । अब अगर पटना में पटना कॉलेज है, साईंस कॉलेज है, बी0एन0कॉलेज हैं, इसी तरह बहुत सारे बिल्डिंग है, चर्च है पादरी की हवेली, समसुल होदा मदरसा है वगैरह वगैरह । मगर अभी आप कहियेगा कि हम तो अमेरिका पहुंच गये हैं । अमेरिका नहीं, कभी इंगलैंड हो कर आये होंगे मंत्री जी, 400 साल से वह पुराना शहर है । मगर उस शहर के एक बिल्डिंग को भी वह छेड़-छाड़ नहीं कर सकता है, बिना सरकार की अनुमति की, अंदर जो करना है, वह कीजिये । मगर जैसे यहां का जी0पी0ओ0 है, जहां पर अभी आप बुलडोजर लगाकर ढाहा है, कहा कि यहां ये-ये बनायेंगे । मगर अंग्रेजो का बनाया हुआ, हमको लगता है कि डच के टाईम का बना हुआ होगा, एक सुंदर मार्केट था, उसको हेरीटेज बिल्डिंग के रूप में रखना चाहिए था उसको भी आपने ढाह दिया, आप उसमें 10 तल्ला, 20 तल्ला जो बनाना है, बनाईये । मगर जो हेरीटेज बिल्डिंग हैं चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक स्थल हों, चाहे हमारे बिल्डिंग हों, उसके प्रति सरकार का क्या नजरिया है, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे जरूर । महोदय, मैं जैसे बहुत सारी कॉलनियां है यहां - कृष्णापुरी, कृष्णानगर, कुछ आई0ए0एस0 कॉलनी, कुछ मजिस्ट्रेट कॉलनी वगैरह वगैरह । एक कॉलनी है विधायक कॉलनी, कम से कम अपने जात का अपने जमात का भी तो ख्याल रखिये । जो अन्य कॉलनियां हैं, वे विकसित हैं, वहां गार्डेन है, सब कुछ है, चाहे आप पाटलीपुत्रा कॉलनी ले लीजिये, कृष्णानगर ले लीजिये और जब एक विधायक कॉलनी बनी तो बहुत सारी टीका-टिप्पणी हुई । मगर इस विधायक कॉलनी का चाहे को-ऑपरेटीव का हो, पाटलीपुत्रा कॉलनी भी को-ऑपरेटीव का था, कृष्णानगर, कृष्णापुरी भी को-ऑपरेटीव का था । तो कम से कम अपने जात का, अपने भाई की जो कॉलनी है, उसको नेगलेट करके इन्होंने रखा है, इसको विकसति नहीं किया है और इनको ऑफिसर लोग पढ़ा

देता होगा कि नहीं, इसमें रोड कैसे बनेगा, इसमें गार्डेन कैसे बनेगा ? आप अपने उत्तर में जरूरत दीजियेगा कि पटना स्मार्ट सिटी है तो उस स्मार्ट सिटी का अंग विधायक कॉलनी भी बनेगा कि नहीं, आई0ए0एस0 और बड़े-बड़े कॉलनियाों की तरह ।

महोदय, जो राशि है यह राशि खर्च करें । महोदय, अंत में मैं यह कहकर बैठ जाऊंगा कि गरीब के लिये कौन-कौन सी योजनायें हैं जो आपने गिनाया है । मगर पटना जैसे शहर में आपने अपने काल में एक भी रैन बसेरा बनाया ? अगर बनाया तो कहां-कहां बनाया है ? जो रैन बसेरा बना हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, वर्किंग लेडी के लिये होस्टल की क्या व्यवस्था है? मगर यहां जो रिक्शावाले हैं, ठेलावाले हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहनेवाले लोग हैं तो जगह-जगह आप कम से कम 10 भी पटना शहर में इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत अगर रैन बसेरा बनवाते तो समझ में आता । जो विवाह भवन वगैरह बने हुये हैं, आपके समय का नहीं बना हुआ है । महोदय, पटना जैसा शहर है, अब आजकल यहां शादी-विवाह वगैरह के लिये अब लगता है कि उससे सांठ-गांठ है या क्या है, बेली रोड में एक से एक अच्छे हॉल बने, मगर सरकारी हॉल जैसे दिल्ली में बने हुये हैं । एक बना हुआ था राजेन्द्र नगर में, लोहिया नगर में तो उसका भी बंटाधार कर दिया । अगर विभिन्न कॉलोर्निियों में अच्छा, सुन्दर उसी मैरिज हॉल की तरह अच्छा आप स्मार्ट सिटी योजना के तहत कम से कम इस वित्तीय वर्ष में 5 और 10 कर दीजिये तो बहुत अच्छा, सिटी से लेकर दानापुर तक तो यही कहकर महोदय कि पैसे का खर्च सार्थक खर्च हो और जो घोषणा करते हैं, उसपर अमल कीजिये और थोड़ा आपके शहर से जाते हैं दरभंगा तो उसका भी ख्याल रखिये । धन्यवाद।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग बैठे हुये हैं। योजना विकास का काम, सभी जिले में, एम0 एल0 ए0 कोटे से बनने वाले जितने कार्यक्रम हैं, वे सब प्रभावित हो रहा है । सबका ट्रांसफर हो गया है और आनेवाले समय में कौन काम करेगा । यह पूरे सदन का मामला है ।

अध्यक्ष : श्री उमेश सिंह कुशवाहा ।

(व्यवधान)

यह शून्यकाल नहीं है । आप इस तरह का मामला शून्यकाल में उठाईये। अभी तो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं । वह क्या कहेंगे ?

चलिये । माननीय सदस्य श्री उमेश सिंह कुशवाहा बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

आपलोगों ने अपनी बात कह दी और उन्होंने सुन लिया । माननीय सदस्य श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी को बोलने दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

हो गया । माननीय मंत्री जी ने सुन लिया ।

(इस अवसर पर सदन में पक्ष एवं विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अगर विधायक योजना को लेकर विधायकों की जो प्रायोरिटी है योजना विकास विभाग का, वह हमेशा गिलोटीन में रहता है । मगर आज सत्ता पक्ष हो या पूरा विपक्ष, मतलब बहुमत जो है क्यों उठ कर खड़ा है योजना विकास के बारे में ? महोदय, जो माननीय सदस्यों की जो शिकायत हैं, उसका तो निदान होना चाहिए।

अध्यक्ष : ठीक है । सरकार सुन रही है । अब उमेश सिंह जी । बोलने दीजिये । चलिये हो गया । चलिये उमेश जी, आप बोलिये ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, आपने मुझे नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांग पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिये मैं आपके प्रति, अपने नेता तथा मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं । माननीय मंत्री,नगर विकास के द्वारा जो .....

(व्यवधान जारी)

टर्न-10/अंजनी/08.07.19

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोगों ने अपनी बात कह दी, सरकार या मंत्री बैठे हैं, सुन लिये, अब आगे की तो कार्रवाई चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

जो आप बोले, पूछ रहे हैं कि क्या सुन लिया, तो जो आप बोले सो बोले । अभी जब नगर विकास विभाग की मांग पर विमर्श चल रहा है, तब आप कोई बात उठाइए, आसन मंत्री को उसको रिसपोंड करने के लिए नहीं कह सकता है । चलिए, उमेश जी ।

(इस अवसर पर राजद के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा जो सदन में अनुदान मांग प्रस्ताव रखा गया है....

अध्यक्ष : आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए । आप लोगों ने अपनी-अपनी बात कह दी, अब आप लोग अपनी सीट पर जाइए ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन के वेल से चले गये)

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ । मैं प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, यह कटु सत्य है कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए शहर और गांव का विकास बहुत जरूरी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उमेश जी बोलिए ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य का जो सवाल है, उसको बाद में सुन लेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी बात कहिए ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय.....

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : किसी भी राज्य की तरक्की के लिए शहर और गांव का विकास बहुत ही जरूरी है । महोदय, आज हमारा शहर और गांव का तस्वीर बदल रहा है और हमारी राज्य सरकार 142 नगर निकाय नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोगों ने अपनी बात कह दी, अब क्या होगा ? अब इस बीच में मंत्री जी को मजबूर नहीं किया जा सकता है । हो गया, आपकी बात सुन ली गयी । बैठ जाइए ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, यदि हम पटना राजधानी की बात कहें तो पटना शहर पूरी तरह से बसा हुआ है, जबसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी इच्छाशक्ति से जो शहर एवं नगर का नाला-गली निर्माण जो कराया है, जो स्वच्छता करायी है, वह स्वागतयोग्य है । हम शहर की बात कहें, उस समय पहले नगर में अंधेरा छाया रहता था और आज एल0ई0डी0 लाईट बल्व की रोशनी से जगमग हो रहा है । सरकार का प्रयास है कि पटना जैसे शहर को मेट्रो के रूप में विकसित करे और वह सपना आज साकार दिखायी दे रहा है । जैसे-दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जैसे शहर में लोग मेट्रो से सवारी करते हैं, उसी तरह पटना के निवासी भी मेट्रो का सवारी करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय.....

अध्यक्ष : अभी बीच में आश्वासन देने के लिए नहीं कह सकते हैं । आसन इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा । आपने अपनी बात कह दी, अब उनको बोलने दीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मेरी बात आपने सुनी नहीं ।

अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : यह परम्परा रही है कि योजना विकास विभाग भी है इसमें, गिलोटीन में है, नगर विकास मंत्री के उत्तर देने के पहले क्या योजना विकास मंत्री.....

अध्यक्ष : अभी यह सवाल पूछने का समय है ? ये सवाल अभी आप नहीं पूछ सकते हैं । माननीय सदस्य बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, वर्ष 2005 के पहले पटना शहर कचड़ों का शहर था, पटना कचड़ों के राजधानी के रूप में था लेकिन जबसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागडोर मिला, तब से नगर निगम की निमित साफ-सफाई को लेकर जो व्यापक कार्यक्रम बनाये गये हैं, डोर-टू-डोर जो कचड़ा कलेक्शन किया जा रहा है और यहां तक महोदय जहां हमारा स्लम इलाका, जहां गली की चौड़ाई कम है, वहां भी ई-रिक्शा का प्रबंध किया गया है महोदय । कचड़ा उठाव के लिए हर स्तर पर हमलोग देख रहे हैं कि साफ-सफाई की ओर सरकार पूरी तरह से ध्यान रखी है । सरकार तो इच्छुक महिलाओं को भी ड्राइविंग के रूप में भी खोज रही है जिसमें इच्छाशक्ति हो गाड़ी चलाने का, अपने संसाधन पर नगर निगम उसको वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जायेगा । विपक्षी सदस्य सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, विपक्षी सदस्य को साफ-सुथरा, नगर की सफाई से कोई मतलब नहीं है । ये तो जानते ही नहीं हैं कि नीले डस्टबीन और पीले डस्टबीन में कौन-सा कचड़ा रखा जाता है । सूखा कचड़ा किस डस्टवीन में रखे, गीला कचड़ा कहां रखें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुन्ना जी, आप अपनी पार्टी से समय मांगिए और पूरे अच्छे से खड़े होकर बोलिए, बैठे-बैठे क्यों बोलते हैं ?

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : इनकी आदत लगी हुई सड़क पर कचरा फेंकने का लेकिन हमारी सरकार कृतसंकल्पित है, जो भी कचरा ये फेकेंगे, हमलोग उसको साफ करेंगे महोदय।

अध्यक्ष : उमेश जी आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, मुझे समय कहां मिला है ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : आज बिहार का शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हुआ है, यह हम मानते हैं लेकिन हमारी सरकार इसका विस्तार कर रही है । पिछले पांच वर्षों में जनता की मांग पर एक दर्जन से अधिक नगर परिषद और नगर पंचायत को उत्क्रमित किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां जमदाहा बाजार है और अरनिया पंचायत और दोनों बाजार के रूप में है, व्यवसायिक बाजार है, इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय ।

(इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, मुख्यमंत्री पेय जल योजना चलाया है, इस योजना के तहत

पाईप लाईन से शहरों के सभी घरों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पित है ।

.....क्रमशः...

टर्न-11/राजेश/8.7.19

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, क्रमशः मुख्यमंत्री शहरी गली, पक्की गली निश्चय योजना, महोदय इस योजना के तहत शहर के तमाम सभी वार्डों के सभी बसावटों में पक्की गली नली.....

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह):- अब आप समाप्त करें ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा: महोदय, एक लाईन । महोदय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान इस योजना के तहत वैसे सभी परिवार जो शौचालय विहिन हैं, उन्हें इसी साल के अंत तक यानि 2 अक्तूबर, 2019 को महात्मा गॉधी जी के जन्म दिन के अवसर पर सरकार हर शौचालय विहिन परिवारों को शौचालय देने का संकल्प लिया है । महोदय नमामि गंगे के तहत जो गंगा नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है जैसे बक्सर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, वहॉ सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, महोदय हमारा महनार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और मैं चाहूंगा, मंत्री जी यहॉ बैठे हैं, वहॉ धार्मिक स्थल भी है, यह पावन धरती है महनार, उस पावर धरती पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, महोदय मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि वहॉ पर घाट का सौंदर्यीकरण हो, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी ।

श्रीमती आशा देवी: सभापति महोदय, मैं 2019-20 के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदय, राज्य सरकार शहरों के विकास करने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए

युद्धस्तर पर कार्यरत है ताकि आमजनों को इसका लाभ मिल सके । महोदय, सरकार द्वारा सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शहर में पेयजल, सात निश्चय योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके अन्तर्गत 15 लाख 63 हजार परिवारों को अब तक कुल 2 लाख 88 हजार परिवारों को घर में नल एवं जल पहुंचाया जा चुका है । महोदय, सरकार द्वारा स्वच्छता भारत मिशन योजनानतर्गत 4 लाख 75 हजार के विरुद्ध में अब तक 2 लाख 72 हजार शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है एवं 1 लाख 72 हजार शौचालय निर्माणाधीन हैं, इसीप्रकार 4952 सीट के सामुदायिक भवन शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए है एवं 4459 सीट के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चलाया जा रहा है । महोदय, 143 नगर निकायों के 3368 वार्ड के लिए अब तक 3270 वार्ड ओ0डी0एफ0 कर चुके हैं और 99 नगर निकायों को भारत सरकार के एजेंसी ओ0डी0एफ0 कर चुके हैं और 99 नगर निकाय भारत सरकार के द्वारा ही घोषित किया जा चुका है । महोदय, मुख्यमंत्री शहरी नली गली, 7 निश्चय योजनान्तर्गत लक्षित है, 3 लाख 65 हजार घरों में अब तक कुल 2,52000 घरों का पक्की नली गली से जुड़ चुका है । महोदय, सरकार अमृत योजनानतर्गत औरंगाबाद, जमालपुर में रहने वाले सभी लोगों को पेयजल आपूर्ति कराने की दिशा में कार्य कर रही है, जल्द ही मुंगेर में भी आवासीय सभी लोगों को पेयजल आपूर्ति करने की दिशा में अग्रसर है । महोदय, सरकार द्वारा 29 अन्य शहर, नगर निकाय में से बस स्टैंड निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 24 का कार्य पूर्ण हो चुका है । महोदय, पटना में 25.96 एकड़ में अन्तर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3000 बस प्रतिदिन चल रही है । महोदय, राज्य सरकार विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार का भी कार्य कर रही है, जिसतरह से पटना के पास गुलबीघाट, खजकलॉ तथा वैशाली के कोनहारा घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार किया जा चुका है । महोदय, हमारी सरकार भागलपुर, मोकामा, बिहटा, सोनपुर, मुंगेर, नगरपरिषद् सीतामढ़ी और नगर पंचायत में नये शवदाह गृह का निर्माण कराने की ओर अग्रसर है । महोदय, श्रद्धेय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन

मिशन में योजना का एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर निगमों जैसे पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं छपरा एवं 14 नगरपर्षद् बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डिहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सीवान, बगहा, बेतिया एवं मोतिहारी एवं नगर पंचायत बोधगया में इस योजना में कार्य हेतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में स्वीकृति राशि 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित नगर निकायों द्वारा वहन किया जायेगा एवं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वीकृति राशि का एक तिहाई राशि केन्द्र सरकार द्वारा ही, 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकाय एवं शेष राशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । महोदय, सरकार इतना चिंतित है कि शहरों में क्या विकास करें, अभी हर शहर के नगर परिषद में आपका स्ट्रीट लाईट लगाने का योजना चल रहा है अभी महोदय सरकार इतना चिंतित है गली से लेकर घर तक कूड़ा उठाने के लिए चिंतित है । महोदय, नगर विकास मंत्री जी से मैं यह ही कहना चाहूंगी, माननीय रेखा जी आप पहली बार सदन में आयी है और हम 15 सालों से इस सदन की सदस्या हूँ, पहले क्या होता था, आप नहीं जानती हैं, आदरणीय सिदिदकी जी पुराने सदस्य हैं, वे जानते हैं और आज भी वे जान रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है नगर विकास में, इसलिए आपलोग महिला है, महिला का कॉपरेट कीजिये, देखिये कि क्या योजना लागू हुआ है, अभी नगर विकास एवं आवास विभाग इतना चिंतित है कि हर घर का कूड़ा तक का उठाव कर रहे हैं, अभी हर घर नल, जल की योजना, शौचालय की व्यवस्था, कूड़ा उठाव की व्यवस्था तथा हर रोड को जोड़ने का काम कर रही है और यहाँ पर हमारे विपक्षी बहनों को यह नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है, जनता ने इसी बल पर अभी तुरत आपलोगों को जवाब भी दिया है, विरोधी भाईयों को जवाब दिया है, इसलिए आने वाले दिनों में भी आप इंतजार करें कि क्या-क्या विकास और होगा, यह कोई व्यक्ति विशेष के बल पर काम नहीं हुआ है, अभी काम पर काम हुआ है, काम का मजदूरी मिला है, इसलिए आने वाले 2020 में भी आप देखियेगा कि जनता क्या कर रही है, इसलिए हम नगर

विकास मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी दानापुर हाथीकाना घुड़दौर पुल तक सिवरेज नाला का निर्माण कराये ताकि वहां नगर परिषद् द्वारा स्वीकृति योजनाओं का, अच्छे पदाधिकारी नियुति कराकर जांच कराया जाय ताकि वहाँ पर काम हो, अच्छे ढंग से काम हो । अभी मंत्री जी कहना चाहती हूँ कि 11 नं0 वार्ड खरंजा रोड में 22 लाख कुछ राशि से काम शुरु हुआ है, इसकी स्वीकृति दो महीना भी नहीं हआ है, उसका पूरा नाला और रोड कवर गया है, आप किसी अच्छे पदाधिकारी भेजकर इसकी जांच करावे और अभी घुड़दौर वाला नाला जो है, उसको बनाने से दानापुर 40 वार्ड का पानी का निकास होगा, अगर आप इसको बना देते हैं, तो पूरे दानापुर हमें तो लगता है कि आज पूरे बिहार के लोग वहाँ पर आ करके दानापुर में मकान बना रहे हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि नाला का स्टीमेट बनाकर उस नाले को जल्द से जल्द बनाया जाय ताकि हमारे दानापुर के 40 वार्ड, 47 वार्ड यहाँ तक कि आर्मी कन्टोनमेंट का भी पानी इसी द्वारा निकलता है ।

क्रमशः

टर्न-12/सत्येन्द्र/8-7-19

श्रीमती आशा देवी (क्रमशः) ताकि आने वाले दिनों में जलजमाव नहीं हो । ब्रांच का नाला कितना भी बनते रहेगा महोदय लेकिन जबतक मेन नाला नहीं बनेगा तब तक वह समस्या पूर्णरूपेण सोल्व होने की बात नहीं है महोदय, नहीं अगर पक्का बनाना है तो हम 2013-14 में उस समय कार्यपालक पदाधिकारी महेन्द्र जी थे उनके साथ जाकर जे0सी0बी0 मशीन से कच्चा नाला का उड़ाही करवाये थे जिससे लोगों को कुछ निजात मिला था । अगर जल्दबाजी में पक्का नहीं बन सकता है तो कच्चा नाला को ही जे0सी0बी0 मशीन भेजकर उसकी उड़ाही कराया जाय तो इससे भी लोगों को राहत मिल सकेगी । महोदय, जो लोग वहां मकान बना रह रहे हैं, उससे जितने आहर हैं, पईन है उसको लोग भरते जा रहे हैं जिस कारण पक्का नाला बनना बहुत ही आवश्यक है । महोदय, मैं आग्रह करती हूँ मंत्री जी से कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को फिर से चालू

किया जाय । जब वह पहले चालू था तो बहुत काम होता था महोदय, माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर होता था ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः सभापति महोदय, आज नगर विकास का जो हमारे साथी कटौती प्रस्ताव लाये हैं मैं उसके समर्थन में खड़ा हूॅ । सबसे पहले सभापति महोदय, हम सिद्दिकी साहब को बधाई देंगे कि स्मार्ट सिटी का परिभाषा जो आपने सदन में दिया है, उसके लिए आपको बधाई है । हम जिस जगह से आते है सभापति महोदय, पक्ष या विपक्ष, पूरा दुनिया, पूरा देश वैसा धरती नहीं देखा है, वहां जो भी जाते होंगे, चाहे मंत्री जायें, चाहे संत्री जाय, बाहर में बोर्ड बड़ा सुन्दर नगर निगम ने लगा दिया है- मोक्ष की धरती और ज्ञान की धरती में आपका स्वागत है। सभापति महोदय, पूरे विश्व में कहीं की धरती जहां मोझ प्राप्त होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह धरती गया ही है और उस धरती को स्मार्ट सिटी में नहीं बनाना यह अपने आप में हास्यास्पद है । स्मार्ट सिटी में लेकर अगर गया का डेवलपमेंट कर दें, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा, राजस्थान की आमदनी वहां की पूरे सरकार का जो बजट है वह टूरिज्म पर है, आज कोई चाहे पदाधिकारी दीर्घा में बैठे हों या सदन में बैठे हों, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष आपके रिश्तेदार आपके परिवार गया में जाकर पितृ दान नहीं करते होंगे । ऐसा कोई शहर है जहां विदेशों से इतने लोग आते हैं ? सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट कहीं आता है तो गया में आता है । जब पितृपक्ष का सीजन आता है तो दलाईलामा आते हैं, यहां के पदाधिकारी विदेशी फौरनर को बजाप्ता स्कॉट के साथ गया भेजते हैं और उस गया को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जाता है, यह दुर्भाग्य है । सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी बातें गया नगर निगम और गया के बारे में बतलाना चाहता हूॅ, चूंकि समय का अभाव है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री गया को स्मार्ट सिटी में लें, सिर्फ भाषण नहीं इलेक्शन ईयर है मंत्री जी, आपके भाषण पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, वहां के लोग आप पर विश्वास किये हैं, आपकी सरकार पर विश्वास किये हैं । वहां का विधायक आज बिहार के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, एन0डी0ए0 की सरकार है बिहार और दिल्ली में और गया स्मार्ट सिटी में नहीं है इसके लिए कौन दोषी है, क्या विपक्ष ? सभापति महोदय, दरभंगा का अपने आप में इतिहास है

मिथिलांचल की राजधानी, जब मिथिलांचल बनेगा तो उसकी राजधानी दरभंगा ही बनेगा । हम आपसे आग्रह करते हैं सभापति महोदय, गया की कुछ बातें आपको बतलायें, यह मेरा सौभाग्य है भगवान विष्णु की नगरी में आज पदाधिकारी कक्ष में जो प्रधान सचिव बैठे हैं, भगवान विष्णु के आशीर्वाद लेकर प्रधान सचिव बने हैं, पी0एच0ई0डी0 के सचिव बैठे हैं वे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर बैठे हैं, मगर प्रधान सचिव जी, गया के आप कलक्टर रहे हैं, अजीत बाबू मंत्री मुजफ्फरपुर के थे और उस समय आप जिला के कलक्टर थे, आप गया के गली नाली गंदगी को नजदीक से देखा है । एक तरफ आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, आपने सीवरेज की बात की है, आपके बजट को हम देखें हैं ,आपने वाटर सप्लाई का बात किया है उसके लिए आपने फंड दिया है, आज ए0डी0बी0आई0, गया में कौन सा ड्रेनेज, कौन सा पानी का मिनार बनाकर जलापूर्त्ति कर दिया । महोदय, हमारे गया शहर में एक ए0पी0 कॉलोनी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी यहां बैठे हैं, वहां पानी पीने के लिए लोगों को नहीं है, जानवरों को पीने का पानी नहीं है और आपका नगर निगम का वह पार्ट है और जिला पदाधिकारी जिस कोठी में रहते थे, उसी के पीछे का दिवाल उस एरिया से सटा है । आज आप सीवरेज की बात कर रहे हैं ? आपने सीवरेज कहां गया में बनाया है और आप बजट लेकर आये हैं, मांग कर रहे हैं मगर सीवरेज में गया में कौन सा काम हुआ है। महोदय, हमने प्रधान-सचिव से लेकर मंत्री तक को कहा कि एक गया नगर निगम में सलेमपुर पईन है, पूरे मानपुर में जो 47 वार्ड से अंतिम वार्ड तक है, वह ड्रेनेज अगर बना दें तो उस ड्रेनेज से लोगों का कल्याण हेागा, उससे 8-9 वार्ड के लोगों का कल्याण होगा और हम आपके कार्यालय भी गये, माननीय मंत्री को वह स्थल भी दिखलाये हैं , प्रधान सचिव को भी दिखलाये हैं आपने बुडको से उसका प्राक्कलन तैयार करवाया, डी0पी0आर0 बनवाये हैं, मगर वह डी0पी0आर0 कागज पर रहेगा क्या ? उस सलेमपुर पईन को बना दीजिये, वहां सिवरेज प्लांट लगा दीजिये तो वहां शहरी क्षेत्र में किसान जो अपना खेती करता हैं खंजाहपुर, कुकरा आदि गांव के लोग, यहां के किसानों को शुद्ध पानी मिलेगा जिससे कि बिहार का भी जी0डी0पी0 बढ़ेगा, इस पर कार्रवाई आपको करना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी एक रानानगर में नाला की योजना को हमने स्वीकृत कराया था महेश्वर हजारी जी से, उसका शिलान्यास करने गये थे, उस दिन सवर्ण आन्दोलन था गया में, सवर्णों के द्वारा उस दिन बिहार बंद किया गया था मगर माननीय मंत्री के सम्मान में हमने सवर्णों को कहा कि भाई आज ये कार्यक्रम हो रहा है माननीय मंत्री कुछ देने आये हैं आप इनका लो , माननीय मुख्यमंत्री जी भी, श्रवण जी जिस महल्ले का जिक्र कर रहा हूँ उस मुहल्ले में 10 बार आप गये हैं वह मुहल्ला है जनकपुर । जनकपुर को आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये हैं डॉ0 सुरेन्द्र के घर में ,वहीं मुहल्ले में उपेन्द्र वर्मा जी रहते थे, उसी मुहल्ले में राम प्यारेबाबू रहते थे । गया-खिजरसराय रोड से महावीर स्थान रोड तक, माननीय मंत्री और प्रधान सचिव दोनों स्थल पर जो कमिट किये जनता के सामने, माननीय मंत्री जी हमलोग भी मंत्री रहे हैं, 83 में मंत्री रहे हैं । आज जो मंत्री का गुदगुदी है उस जमाने में मंत्री का अलग गुदगुदी होता था आप स्थल पर कमिटमेंट कर आये, आपके कार्यालय में प्रधान सचिव और मंत्री दोनों ने कमिटमेंट किया कि आपकी ये योजना स्वीकृत हो जायेगी, आप निश्चिंत होकर जाईए । हमने आपके विश्वास पर जनकपुर के लोगों को कहा कि माननीय मंत्री ने आपको तोहफा दिया है, बिहार सरकार ने तोहफा दिया है लेकिन हश्र क्या हुआ ? ये स्वयं माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में बतलायेंगे । आप स्वीकृत किये अपने चैम्बर में, प्रधान सचिव भी वहां बैठे हुए हैं, आप दोनों कमिटेड थे कि आपकी योजना हो जायेगी । यह कोई व्यक्तिगत हमारी योजना नहीं थी और यह योजना गरीब गुरवा का था । आप श्रम की बात करते हैं, श्रम आपका कहां है, हमने आपको दिखलाया गांधीनगर, आज श्रम में वह गली जिसके वोट पर आप कहते हैं मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है लेकिन उस अधिकार को आप पूरा तो करें लेकिन (क्रमशः)

टर्न-13/मधुप/08.7.2019

...क्रमशः...

श्री अवधेश कुमार सिंह : उस अधिकार को भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि रूरल वाटर सप्लाई – पी0एच0ई0डी0 भी उसका अंश है, इसलिए बताना चाहते हैं, हम माननीय पी0एच0ई0डी0 मंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने सदन में बड़ा सकारात्मक, पोजिटीव सोच रखकर वीजरगंज बाजार–पुनामा के लिए आपने जो हाउस में वक्तव्य दिया है, मेरे पास यह उत्तर है। माननीय मंत्री जी, आपने दर्द समझा पुनामा का, आपने दर्द समझा वजीरगंज का, आप बधाई कि पात्र हैं कि पी0एच0ई0डी0 के द्वारा 21 करोड़ 27 लाख 62 हजार रू0 की योजना आपने स्वीकृत किया है और आपने कहा है कि स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है । हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको शीघ्र स्वीकृत करके वहॉ के ग्रामीणों को पानी पिलाने का काम करेंगे ।

शहरी क्षेत्र में हम आशा और विश्वास करते हैं माननीय मंत्री जी से कि ए0डी0बी0 के द्वारा जो आप योजना शुरू कराये हैं, जिसको आप करोड़ो–करोड़ फंड दिया है उसका मोनिटरिंग कीजिये । सीवरेज के काम में आपको मोनिटरिंग करना होगा। सभापति महोदय, हर विधायक, हर लोगों का यह सोच होता है कि हम अपने क्षेत्र में काम करायें । वैसे ही नगर निगम के भी वार्ड पार्षद का अधिकार होता है, वह सोचता है कि हम अपने वार्ड में करायेंगे तो अगले बार हम चुनाव जीतेंगे । मगर उनका जो अधिकार है, नगर विकास को जिले की बड़ी–बड़ी योजनाओं को लेना होगा, उसके लिए आपको कमीटमेंट करना होगा, उसके लिए राजकीय कोष है, गली–नाली बनाने के लिए कोष नहीं है । नगर निगम में एक वार्ड, दो वार्ड, तीन वार्ड को जो जोड़ता है, वह सड़क, जो एक वार्ड, दो वार्ड, पॉच वार्ड के ड्रेनेज को साफ करता हो, ऐसी योजनाओं को आपको लेने की आवश्यकता है ।

माननीय मंत्री महोदय, हम कुछ गया के इम्पौर्टेंट बात, खास करके गया में मानपुर नगर निगम का पार्ट है लेकिन मानपुर को नगर विकास का लोग सब्सिडियरी समझता है । नगर निगम का मतलब समझता है – गया शहर । गया शहर का एक पार्ट है मानपुर, जिसमें 47 वार्ड से 54 वार्ड तक है। उस वार्ड में आप नजर उठाकर देखेंगे पिछले 15 साल का ही, तो उसके पहले

वह नगर निगम अलग था गया शहर में था लेकिन 15 वर्षों में वह वार्ड आ गया है, कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण, इसलिए कुछ योजनाएँ हैं, हम माननीय मंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं कि सकारात्मक भूमिका निभाकर उन योजनाओं को आप शीघ्र इम्पलीमेंट करवा दें । वे योजनाएँ हैं - गया खिजरसराय रोड से जनकपुर से महावीर स्थान तक पी0सी0सी0 रोड और नाला का निर्माण, गया-नवादा रोड से अवगीला देवी स्थान तक नाला एवं पी0सी0सी0 का निर्माण, सलेमपुर पईन का जो बुडको के द्वारा डी0पी0आर0 बनाया गया है जिसको माननीय मंत्री जी आपके नोटिस में दिया हुआ है, प्रधान सचिव को नोटिस में दिया हुआ है, इस डी0पी0आर0 को आप शीघ्र कार्यान्वयन कराने की कार्रवाई करें । लखीबाग खादी ग्रामोद्योग संस्था जहाँ माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें गये हैं ग्रामोद्योग में, उसी खादी ग्रामोद्योग के लखीबाग से बुल्ला शहीद तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला का निर्माण, गोरक्षणी से जगजीवन कॉलेज रोड में नौरंगा तक पी0सी0सी0 और नाला का निर्माण, कुम्हार टोली में शंकर भगवान मन्दिर के पास, अमृत योजना जो आपने अटलजी के नाम पर दिया है, स्व0 अटलजी हमलोगों के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अटलजी ऐसे भी सम्मानित नेता थे, उनके नाम पर जब आपने योजना लाया है, उन योजनाओं में आप गया में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अटलजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाय ।

सभापति महोदय, हमारे गया के मानपुर में सूर्य पोखरा है, जैसे आपके यहाँ देव में है, हमारे श्रवण भाई के यहाँ देवकुल अंगारी है, वैसे ही गया के मानपुर में सूर्य पोखरा है, जिसको सभी जिला पदाधिकारी, संयोग से यहाँ दो-दो जिला पदाधिकारी जो गया में रहे हैं, वह मौजूद हैं, उस सूर्य पोखरा का सौन्दर्यीकरण करा दें जहाँ प्रत्येक वर्ष में दो बार मिनिमम 50 हजार हमारी माताएँ और बहनें वहाँ पर अर्ध्य देती हैं, उस जगह को इनक्रोच किया जा रहा है, उस जगह को इनक्रोचमेंट से मुक्त कराइये । ग्रामीणों के द्वारा उस पोखर को आज भी सुरक्षित रखा गया है । माननीय मुख्यमंत्री की सोच जो जल संग्रह की है, आज भी उस सूर्य पोखरा में पानी है, इतने सूखा के बाद भी पानी है, उस पानी को बचाकर हम ग्रामीण लोग, हम जनता लोग रखे हुये हैं । इसलिये

आपसे आग्रह है कि उस सूर्य पोखरा का सौन्दर्यीकरण करायें, इनक्रोचमेंट से मुक्त करायें ।

सभापति महोदय, गया में भी बहुत से ऐसे पार्क हैं जिन्हें अमरूत योजना के तहत आप उसको ले सकते हैं । आपने दिया है, आपका फोटो देखे हैं, पटना के बस स्टैंड का आप फोटो दिखा रहे हैं । आपने गया में भी स्वीकृत किया है, मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है, मानपुर में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है । वह निर्माण धीमी गति में हो रहा है, वह निर्माण दो साल में पूरा होगा कि तीन साल में पूरा होगा, इसपर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

महोदय, विभाग के लिए एक दुखद चीज बताना चाहता हूँ कि पितृपक्ष आने वाला है । पितृपक्ष में आप घोषणा करते हैं कि गया को स्वच्छ रखेंगे, गया का वातावरण स्वच्छ होगा, यहाँ के मंत्री जाते हैं वहाँ और जायेंगे भी राम नारायण मंडल जी और वहाँ से बड़ा सुन्दर भाषण देकर आयेंगे । मगर उस पितृपक्ष मेले के लिए आपको कुछ तैयारी कर रहे हैं या नहीं ? उस तैयारी में हर साल लीपा-पोती होता है । यह जो एन0डी0ए0 की सरकार है और उसकी जो सोच है, सोच तो आपका स्पष्ट है - हिन्दुत्व सोच, तो भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता है क्या !

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कर दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : एक मिनट सभापति महोदय । विष्णु भगवान से भी बड़ा कोई देवता है क्या ? उस विष्णु की सेवा कर दे नगर विकास विभाग, आपसे आग्रह है कि आप उसकी सेवा कर दें, इससे बड़ा कल्याण पितृपक्ष में नहीं होगा ।

आज गया नगर निगम में डीजल और पेट्रोल के लिए वहाँ विवाद है मेयर और प्रशासक में । उस विवाद में गया नगर की जनता तबाह है, गली और नाली में सड़े गंध आ रहे हैं । उस गंध को आप खतम कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। जो भी निर्णय लेना है, सरकार को लेना है, कौन रहेगा, कौन जायेगा, उससे कोई लेना-देना नहीं है, गया नगर निगम सुचारू रूप से चले, वहाँ के ट्रैक्टर में डीजल मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी ।

आज एक तरफ हाईकोर्ट, एक तरफ नगर निगम, एक तरफ नगर विकास, इस लड़ाई में गया तबाह हो रहा है, इस गया को बचायें । सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी और इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि गया नगर निगम को बचाने की कार्रवाई करें ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कर दें ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : एक सेकंड सर । आज पूरे बिहार में पक्ष और विपक्ष से हम सभी विधायक बैठे हैं, पानी का लेयर हमारे यहॉ भाग गया है इसलिये हम पी0एच0ई0डी0 मंत्री विनोद नारायण झा जी से चाहेंगे कि आप हमारे रूरल एरिया में डीप बोरिंग कराने की कार्रवाई करें । चूंकि विधायक कोटा से आप चापाकल ले लिया है, नल-जल योजना हो नहीं रहा है और ग्रामीण जनता, गरीब दलित पानी के बिना मर रहा है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य, मोहम्मद नवाज आलम ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : एक बात कहकर समाप्त कर देते हैं । महोदय, चापाकल हर पंचायत में, हम विधायक कोटा नहीं कह रहे हैं, डीप चापाकल हर पंचायत में कम से कम 5-10 करा दें ताकि ग्रामीण बच सके । आज उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना कीजियेगा तो चापाकल के रेशियो में आसमान और जमीन का फर्क है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य मोहम्मद नवाज आलम, आपका 10 मिनट समय है ।

टर्न-14/शंभु/08.07.19

मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग 2019-20 के वार्षिक आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, जो मैंने बजट देखने का काम किया है- बजट पर आपने 2019-20 के स्कीम मद में 3075.00 करोड़ रूपये, स्थापना एवं प्रतिमद व्यय में 20383.79 करोड़ कुल प्राक्कलन 5158.79 करोड़ रूपये दिये

हैं। आपने 2019 की तुलना में 745.21 करोड़ अधिक प्रावधान किया है । महोदय, मैं आपके सामने इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के पहले मेरा शीर्षक है- बढ़ती आबादी नाले के पानी में डूबता स्मार्ट सिटी । महोदय, मैंने इसलिए इस शीर्षक को रखने का काम किया चूंकि बहुत सारे साथी हमारे बोलते थे कि बोलते नहीं तो मैंने उसमें एक शेर अर्ज किया है- जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना । गुफ्तगु तूने सिखाई है, गुफ्तगु तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था बोलता नहीं, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर देना । सभापति महोदय, मैं इस बात का इसलिए आगाज कर रहा हूँ कि आपके सामने आपने सबसे पहले इस बजट में हाऊस फॉल औल का बात किया है जिसमें सबको घर, सबको रहने का छत, सभी गरीबों को मान और सम्मान मिलने की बात इस बजट में आपने लाने का काम किया है, लेकिन आपकी सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी से लेकर तमाम जो मलीन बस्ती में बसनेवाले लोग हैं जिनको रहने का घर नहीं आप उनको उजाड़ने का काम करते हैं । आप उनको बसाने का काम नहीं करते, आप उस मलिन बस्ती में रहनेवाले लोगों को छत देने का वादा किया था, आपने उस छत को छीनने का काम किया है और गरीबों के मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाया है । लेकिन जो पिछली सरकार थी आदरणीय जन-जन के नेता लालू यादव जब सरकार में थे तो इसी शहर में अम्बेदकर कॉलोनी बनाने का काम किया था । इसी शहर में चितकोहरा ब्रिज के नीचे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहनेवाले बेसहारों को- जो रोड पर सोते- आपको कभी सोचने का मौका नहीं मिला होगा । सभापति महोदय, हम इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब बेली रोड में पुल के उपर से चलते हैं तो रोड पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर रोड पर सोने का काम करते हैं । आपने बजट में कभी इस तरह का प्रावधान नहीं किया, जो आदरणीय नेता जन-जन के लालू यादव ने काम किया है, जो गरीब गुरूबों को बसाने का काम किया था उनको उजाड़ने का आपने काम किया है । इसी तरह से आपने कहीं-न-कहीं मलिन बस्तियों में जो रहनेवाले लोग हैं उनके सफाई की व्यवस्था, समुचित छिड़काव की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था इन तमाम चीजों को आपको देने का काम

होना चाहिए था । आपने कहीं भी ऐसा करने का काम नहीं किया है । आप बल्कि यह कहते- ठीक किसी शायर ने कहा है- चेहरा बता रहा था, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख-प्यास से, सबलोग कह रहे थे कुछ खाकर मर गया है । जब मुजफ्फरपुर में लोग मरते हैं तो आप कहते हैं कि लीची खाकर मर गया, कहीं दवाई के अभाव में मरता, आप वैसे लोगों की आलोचना करने का काम करते मुझे लगता है गरीबों का आप मजाक बना रहे हैं । आपका कोई विजन नहीं आप किसी शहर में चले जाएं, मैं आरा से विधायक बनकर आया हूँ । आप आरा की धरती पर कहीं जाइये कोई आपका वेडिंग जोन नहीं है । जो भी मार्केट है और फुटकर व्यापारी है उन व्यापारियों का कहीं पुलिस से दमन होता, कहीं टैक्स कलेक्टर का दमन होता, नगरपालिका के गुन्डे अपराधियों के द्वारा दमन होता उनके लिए आपकी कोई योजना नहीं बनी । आरा में जैसे स्टेशन रोड है, चाहे शिवगंज मोड़ है, चाहे आप पटना के राजा बाजार हो, सिटी हो, फुलवारी हो तमाम जगह आपका वेंडिंग जोन नहीं है । रैन बसेरा - रैन बसेरा की योजना बजट में खूबसूरती से लाने का काम किया है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि रैन बसेरा जो आदरणीय लालू यादव ने जो ठेला चलानेवाले, रिक्शा चलानेवाले और जो मजदूर तबके के लोग जो आते थे पटना शहर में मजदूरी करने के लिए वैसे लोगों को आप कहीं न कहीं भैंस और गाय बांधने के नाम पर उजाड़ने का काम किया है । आपने एन0जी0ओ0 के माध्यम से नगर निगम को एक पेशावर एन0जी0ओ0 बनाकर रख दिया । आपसे हम जानना चाहते हैं कि कचरा उठाव की जो आपकी प्रबंधन नीति है निश्चित रूप से कहीं ने कहीं घातक है । जो मजदूर के लिए आप कहते कि पलायन से रोकने का काम करेंगे, लेकिन आपने उनको रोकने का काम नहीं किया, दलित उत्पीड़न की बात करते, लेकिन कचरा उठाव के मामले में एन0जी0ओ0 को दे रखा है। जो मजदूर 10 हजार रूपया लेता था उसको 20-20 हजार एन0जी0ओ0 के मार्फत आप बेचने पर विवश करते हैं । हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी असहाय हैं उस विभाग को कोई और बाबू लोग चलाते इसलिए हम जानना चाहते हैं कि लगातार जो आरा से आनेवाले लोग जब 2017 को समीक्षात्मक बैठक हुई, जल जमाव से जो शाहाबाद का सबसे पुराना जगह

जल जमाव से प्रभावित है । महोदय, 9 आऊटफॉल नाले हैं माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं । उस 9 आऊटफॉल नाले का बजाप्ता डी0पी0आर0 बनकर वुडको से सैंग्शन होने के बाद जब एक सरकार 9 आऊटफॉल नाले का तलीय सफाई और बनावट नहीं कर सकी तो हम जानना चाहते हैं महोदय कि आप कौन सा काम करनेवाले हैं । इसी तरह से आप पीठ थपथपाते जल-नल योजना के बारे में कहते हम बजट में देख रहे थे । आप जल नल योजना को अपनी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन जल नल योजना 2016 में महागठबंधन की सरकार में बनी थी और उस जल नल योजना के माध्यम से फर्स्ट बिहार थिंक्स टूडे इंडिया थिंक्स टूमोरो । आप पीठ थपथपाते जो बिहार आज सोचता है इंडिया कल सोचता है । आपने यह बात रखने का काम किया है इस बजट के माध्यम से । ठीक आपने कहा महागठबंधन के लोगों ने जो एक सपना दिखाया था- आज नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी इम्पलीमेंट करने के लिए विवश हुए हैं । इसलिए यह उपलब्धि कहीं ने कहीं 2016 महागठबंधन की है । इसी तरह से पक्की गली नली योजना के मामले में आप हर जगह विफल साबित हुए हैं । आरा शहर में सार्वजनिक स्थान में कहीं भी प्याऊ जल की व्यवस्था इस बजट में देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से हर जिले में आइ0बी0 और गेस्ट हाऊस होना चाहिए जिससे लोगों का होटल के द्वारा जो दोहन होता है उन चीजों से कहीं ने कहीं बचा जा सके । इसी तरह से कुछ बातें रखना चाहते हैं आप मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम करते हैं, लेकिन कॉपरेटिव के माध्यम से आपने कृष्णा नगर, पाटलीपुत्रा जैसे हसीन मुहल्लों को बनाने के लिए आपने जमीन आवंटन किया है उसको कहीं कमर्शियल भूखंड के नाम पर नहीं दिया था । आपने केवल वहां मकान बनाने के लिए दिया था, लेकिन उन तमाम भूखंड का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है । क्या सरकार और माननीय मंत्री जी वैसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहेंगे और उनके माध्यम से जो गरीबों को उजाड़ा जाता है टैक्स वसूली करके कहीं न कहीं उनको देने का काम करेंगे। महोदय, इसी तरह से 2-4 मिनट मेरा समय है । जिस तरह से आपने डूडा बनाने का काम किया, तीन-तीन विभाग को मिलाकर वुडको को बनाया है। हम जानना चाहते हैं कि बुडको में आपने बिहार जल पर्षद् को रखने का

काम किया, बिहार शहरी विकास अभिकरण को रखने का काम किया, जिला शहरी विकास अभिकरण को रखने का काम किया है ।

क्रमशः

टर्न-15/ज्योति/08-07-21019

क्रमशः

श्री मोहम्मद नवाज आलम : आप बुडको में जो पहले से भ्रष्टाचारी लोग थे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हमें लगता है कि कहीं उनको बचाने की तो योजना नहीं है, उनके ं फाईल को दबा कर बचाने की योजना तो नहीं है और इसी वजह से लगातार एक साल से बाबू के टेबुल पर फाईल घूमती रहती है इसलिए हम आपसे कहना चहते हैं कि निश्चित रुप से ..

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : अब मैं कुछ सुझाव के रुप में देना चाहता हूं और पहला सुझाव है कि आरा का शीशमहल चौक से रमगढ़िया होते हुए धरहरा तक के नगर निगम का पथ जो लाईफ लाईन है और उस लाईफ लाईन के मरम्मती करने का काम निश्चित रुप से सरकार को करनी चाहिए । वलीगंज मोड़ से अहिरपुरवा होते हुए एन0एच0 (दलित टोला) तक दलित बस्ती को उस काम को भी करने का काम माननीय सभापति महोदय, सरकार को करना चाहिए । शहीद भवन से मठिया मोड़ तक नाला का निर्माण एवं विद्युत शब दाह गृह का जीर्णोद्धार कराया जाय । 12 नं0 लख रघुटोला से बिंद टोली मंदिर तक जो वार्ड नं0 34 में है जहाँ बिंद समाज के अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं शहर में रहने के बावजूद महोदय, आज तक उनका विकास नहीं हो पाया । इसीतरह से महोदय, आरा का ब्रिटिश काल के नौ (9) आउट फौल नाला जिसका डी.पी.आर. बनकर तैयार है जो आरा के लिए लाईफ लाइन है आरा के जन पद के लोग जल जमाव से डूब रहे हैं और आजादी के बाद एक ऐसा मौका रहा कि पाँच पाँच बार ये जो महागठबंधन डबल इंजन के मंत्री और विधायक रहें लेकिन आरा का विकास नहीं हो सका ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : अंत में यही सुनाना चाहता हूँ कि : '' बांध ले बिस्तर, राज अब जाने को है, जुल्म काफी कर चुके, पब्लिक बिगड़ जाने को है । ''

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): श्री सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सरकार द्वारा जो नगर विकास विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, यह बात आज कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि किसतरह से हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका जो वीजन रहा है, उनकी जो सोच रही है, उनका जो दृष्टिकोण है और विकास के बारे में उनका जो कमिटमेंट है और उनका जो लगन है आज उन्होंने उन तमाम चीजो से बिहार में जो परिवर्तन आया है उसकी छाया उसका प्रतिबिम्ब नगर विकास विभाग से भी जाहिर होता है । आज सारे शहरों में बहुत ही धड़ल्ले से विकास का काम हो रहा है, चाहे वह स्वच्छता का सवाल हो, चाहे वह सड़को के विकास का सवाल हो, चाहे अन्य जो सवाल हैं जो शहर के आवास से और विकास से संबंधित है, उन तमाम सवालों पर जो विभाग जिस मुस्तैदी से काम कर रहा है तो उससे जाहिर होता है कि हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए राज्य में अनेकों ऐसी चीजें हो रही है । हमारे मित्र ने जिक्र किया मेट्रो हमारे लिए सपना हुआ करता था लेकिन आज हमारे नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं, यह एन.डी.ए. की सरकार का ही सबसे बड़ा काम है कि उन्होंने इस योजना को यहाँ कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है और वह दिन दूर नहीं होगा जब उससे हम लाभान्वित होंगे । शहरों की जो जाम की समस्या है, भीड़ की समस्या है और जो सुलभ मार्ग की समस्या है वह हमें हासिल होगा । सभापति महोदय, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आज पटना की राजधानी जिसको कि हमलोगों ने 10-15 साल पहले देखा था और आज जो देख रहे हैं क्या उस विकास से अगर किसी की आंखें नहीं खुले, कोई देख नहीं सके तो हम अफसोस ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम दया ही दिखला सकते हैं लेकिन सारी दुनिया जानती है कि आज अगर कोई भी 10 साल पहले बिहार से बाहर गया और आज बिहार पहुंचे और पटना की धरती पर आये तो सारी चीजों को देखने के बाद उनको पता ही नहीं लगेगा कि हम फिर वही पटना में हैं या फिर कोई नया पटना शहर में आ गए हैं । आज नीतीश कुमार जी ने पटना का जो कायाकल्प कर दिया था ।

कहॉ था ज्ञान भवन, कहा था बापू सभागार, कहॉ था वो पटना का म्यूजियम कहॉ था ये सारी चीजें, हॉ जी, वह सब चीज जो है, सब देखिये और देख करके अंदाज कीजिये । सब देख करके अंदाज कीजिये लेकिन हमको तो लगता है कि ''अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता तो नहीं ''। बाह, मने क्या बात है ? सब चीज महसूस करते हैं महोदय, लेकिन बोलने के समय में वही बात बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए और उनके लिए वही बोलना मुफीद है इसलिए सच्चाई को कबूल करना हम जानते हैं । हमको इतनी हिम्मत है । हमारे नेताओं को इतनी हिम्मत है । हमने कभी जनता की नजरों से कोई बात छिपाने का काम नहीं किया । चाहे हमारे नेता नीतीश कुमार जी हों या भारत सरकार के प्रधान मंत्री हों, हमने सारी चीजों को जनता के सामने दिल खोलकर रखने का काम किया । जो भी विकास का काम कर रहे हैं, चाहे शहर की दिशा में हो चाहे और जो है आवास के संबंध में हो तो आवास की बड़ी भारी समस्या है । बढ़ती हुई आबादी के साथ आवास की भी समस्या बढ़ी है । स्वच्छता की भी समस्या बढ़ी है और जल नल ये सारी चीजों की समस्या आज नये रुप में हमारे सामने उपस्थित हुई इसलिए हम सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते हैं कि हम जितना काम कर रहे हैं यह जितना बजट हमारा है अगर सारी चीजों को देखें तो लगता है कि बजट तो बहुत छोटा है समस्यायें विकराल है, उससे हमें जूझना है उसको दूर करना है । सबों को घर उपलब्ध कराना है । सबों को पानी देना है । सबको बिजली दे रहे हैं और भी देंगे सारी चीजें । गैस मिलने वाला है । सारी योजनाओं पर काम हो रहा है । कौन नहीं जानता है कि आज शहरों की स्थिति में बड़े बड़े काम चाहे पटना से ले करके जिला मुख्यालय का काम हो सब जगह काम हो रहे हैं हमारे नगर निकायों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया गया है । पार्कों का निर्माण और नयी नयी चीजें जो बन रही है तो उससे लोगों को हमारे बाल बच्चों को शिक्षाविदों को जो जानकारी रखने के लिए उत्सुकता रखते हैं ऐसे जिज्ञासु लोगों को अनेकों चीजें जो हैं यह जानने के लिए मिल रही है इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या नगर विकास की हमारे सामने है । नगर विकास के लिए जो नगर निकाय, हैं चाहे वाह नगर निगम हो या नगरपालिका हो या नगर परिषद् हो या नगर पंचायत हो इन सारी चीजों के बारे में नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री को उनकी समस्या को समझने का उनकी जहॉ भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए सारा प्रयास करना चाहिए । क्रमशः..

टर्न-16/08.7.2019/बिपिन

श्री सुबोध राय: क्रमश: .. आज हम देखते हैं कि नगर निकायों में जो कार्यपालक अधिकारी को भेजते हैं चाहे नगर आयुक्त भेजते हैं तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और जो आपके अधिकारी हैं वह इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक ढंग से सोचते हैं कि जनप्रतिनधियों का सम्मान करने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं । नतीजा क्या है कि विकास का काम आज कौन रोक रहा है ? विकास का काम आपके ऐसे ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी के बड़े-बड़े अधिकारी जनप्रतिनिधियों को न सम्मान देने के लिए तैयार हैं, न उनकी समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं और अपनी मनमानी करते हैं । भागलपुर की स्थिति से आप अवगत हैं । पटना की स्थिति से अवगत हैं । हर जगह की समस्या से अवगत हैं । आपके विभाग में राज्य मुख्यालय में बड़े-बड़े प्रतिभावान अधिकारी हैं , मेधावी प्रतिभावान आपके अधिकारी मौजूद हैं । हमको अच्छी तरह जानकारी है । मिलने का मौका मिलता है तो जब उनसे बातचीत करते हैं, समस्याओं को बताते हैं तो बहुत ज्यादा हमको अच्छा लगता है और अपनी समस्या को निदान के लिए उनसे मदद भी मिलती है । हमारा सुल्तानगंज नगर परिषद है । सुल्तानगंज नगर परिषद आप जानते हैं कि विश्वविख्यात कॉवरिया मेला का व श्रावणी मेला का केंद्र है । उसको विकास की जितनी आज जरूरत है उतना विकास नहीं हो पा रहा है । कारण क्या है? आपका ध्यान उस ओर ज्यादा नहीं है । आज कांवरिया मेला का 16 जुलाई से वहां उद्घाटन होने जा रहा है और बड़ी संख्या में कांवरियों का आगमन, आवासन, उसके लिए भोजन, उसके स्वास्थ्य, उसके लिए सारी चीजों की व्यवस्था का सवाल है। नगर विकास की जिम्मेवारी के साथ-साथ पी.एच.इ.डी. का जिम्मेवारी और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी, यह सभी विभागों की जिम्मेदारी है । जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है, सबों को समन्वित ढंग से वहां काम करके कांवरिया के लिए ऐसा काम कीजिए ताकि सारे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि हमारे जो पड़ोसी देश के कांवरिया लोग आते हैं, नेपाल से, भूटान से, सिक्कम से, वो सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर जाएं और आपकी तारीफ करते हुए, आपका सम्मान करते हुए उनके दिल में एक नया उमंग और नया उत्साह पैदा हो, यह चीज जो है, वह होना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुल्तानगंज में विकास के लिए जो काम किया है आज उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है । हम कभी सोचते भी

नहीं थे कि हमारे यहां गंगा पर पुल बनेगा लेकिन कांवरिया के सुविधा के लिए और वहां के किसानों के लिए और दोनों उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए सुल्तानगंज से अजगैवीनाथ घाट तक पुल निर्माण का जो उन्होंने फैसला करके उसको कार्यान्वित करने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और सभी लोगों के लिए वह एक उदाहरण है कि वहां आधुनिक तकनीक के जरिए उस पुल का निर्माण होगा। उसमें आधुनिक सुविधाएं रहेंगी जिसके माध्यम से लोग गंगा नदी में जो डॉल्फिन की जो सारी कार्रवाइयां हैं, उसके खेलकूद हैं, उसको वहां से देख सकेंगे । उसका ऑबजर्वेटरी भी वहां बना रहेगा । तो इस तरह से सुल्तानगंज का विकास और करने की जरूरत है । अभी वहां जो काम हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा, हम कल ही देख कर आए हैं, हमारे साथ बहुत अधिकारी थे । उनके पहले वहां के कमिश्नर, डी.एम. और सभी बड़े अधिकारियों ने घाट का निरीक्षण किया । घाट की स्थिति बहुत बदतर है । उसको ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं । साथ ही, जो कांवरिया पथ है उसको दुरूस्त करने की जरूरत है । वहां स्वच्छता के लिए पी.एच.इ. डी. विभाग को और पेयजल की सुविधा के लिए पी.एच.इ.डी. विभाग को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है । लेकिन पी.एच.इ.डी. विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं, जो वहां के असिस्टेंट अभियंता हैं उनकी भूमिका पर सबों को शक रहता है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने गड़बड़ी किया है, फिर गड़बड़ी करेंगे । सारी बातों को आपको देखने की जरूरत है और नगर विकास ज्यादा-से-ज्यादा सुविधा प्राप्त कराने के लिए आगे बढ़े । इसके लिए काम करने की जरूरत है । इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितना आपने बजट दिया है उसकी सही ढंग से मोनिटरिंग होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए आपको तैयार होना चहिए । वहां के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर, नगर परिषद जो है उसको विश्वास में लेकर, साथ-ही-साथ और तमाम जो लोग हैं, सर्वदलीय समितियों के माध्यम से आपको वहां देखना चाहिए कि कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : आप समाप्त करिए ।

श्री सुबोध राय : जनता के हितों के लिए, बिहार के विकास के लिए और खुद इस सरकार में जनता का जो विश्वास बढ़ा है, सभापति महोदय, मैं तुरंत अपनी बात समाप्त करूंगा, थोड़ी-सी इजाजत की जरूरत है ।

महोदय, आज जो जनता ने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जितने बड़े पैमाने पर हमको और जिस आशा और उम्मीद के साथ हमारे प्रति जनता ने विश्वास पैदा कर लोकसभा के चुनाव में अपार बहुमत, अभूतपूर्व बहुमत देने का काम किया है, इसको याद रखने की जरूरत है और उनके अरमानों को पूरा करने के लिए आज जरूरत है, हमारी बिल्कुल यह समस्या है कि बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं तो बन रही हैं, उसके लिए किसानों को औने-पौने दाम में माफियाओं के हाथों जमीन बेचना पड़ता है । आज 10 हजार एकड़ जमीन सिर्फ पटना की जो खेती के लायक जमीन थी, भू-माफियाओं के कब्जे में चली गई और आज गरीबों के लिए उनको बुलडोजर चलाकर उजारने का काम करते हैं । यह अच्छा नहीं लगता है । यह सुनकर, देखकर हमलोगों को भी शर्म आती है । ये वही लोग हैं जिन्होंने धूप में, कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में वही बूढ़ा-बुढ़िया और उनके परिवार के लोगों ने एक-एक वोट हमको दिया लेकिन बड़े-बड़े जो संपन्न लोग हैं ....

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुबोध राय: महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : प्रकाश राय जी । भा.ज.पा. ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, आपने सरकार के पक्ष में बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं तथा कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए मैं पार्टी के नेता और पूर्णिया की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदय, शहर का विकास राज्य और देश का आइना होता है और शहर विकास की ओर निरंतर बढ़ रहा है और इस बार का यह जो सरकार का बजट है इस बजट में जो नगर विकास का बजट है वह 51 अरब 58 करोड़ 78 लाख 99 हजार रूपए की जो मांग की गई है, यह बजट बहुत ही सराहनीय है और शहर का विकास निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है ... क्रमशः

टर्न : 17/कृष्ण/08.07.2019

श्री विजय कुमार खेमका (क्रमशः) : चाहे वह नल जल योजना से हो, आज नगर निगम हो, चाहे नगर पर्षद हो, चाहे अधिसूचित क्षेत्र हो । इन शहरों में शहरवासियों को सुविधा मिले, इस दिशा में नल से जल का जाल बिछाया जा रहा है । हमारे पूर्णियां में, जो हमारे नगर विकास मंत्री जी हैं, बीच में वहां गये भी थे और इन्होंने अपने से भी देखा कि चारो ओर, चाहे वह वार्ड का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पाईप लाईन बिछाने का काम चल रहा है । महोदय, जो हमारे आदरणीय नगर विकास मंत्री जी हैं, सुरेश बाबू का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो पाईप लाईन बिछाये जा रहे हैं, एक तरफ हमें जल की सुविधा देनी है और जो हमारी सड़के हैं, जिनका निर्माण हुआ है, पाईप लाईन बिछाने में जो सड़के तोड़ी जा रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पाईप लाईन बिछाने के साथ-साथ उन सड़कों को भी, जहां वह तोड़ी गयी है, उसका निर्माण तुरंत होना चाहिए अन्यथा जो टूटी हुई सड़कें हैं जहां पाईप लाईन बिछाये जा रहे हैं, इस पानी के मौसम में वह और भी टूटेगा, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है । सभापति महोदय, नगर निगम और नगर निगम के क्षेत्र में काफी नगर का विकास हो रहा है । नली गली सड़क योजना के माध्यम से छोटी-छोटी सड़कों का भी निर्माण निरंतर हो रहा है । लेकिन मैं इस सदन में चाहे वह प्रति पक्ष के हों या पक्ष के हों, जो शहरी क्षेत्र के विकास में प्रतिनिधि लगे रहते हैं, एक मांग सामूहिक है, जो पहले से हम करते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के बंद होने से जो शहरों में बड़ी-बड़ी सड़कें जो आर0ई0ओ0 या अन्य विभाग के माध्यम से बनी थी, वह जर्जर हो गयी है । उनकी ओर ध्यान होने से उसका

निर्माण नहीं हो रहा है । मैं अपने आदरणीय नगर विकास मंत्री जी से उनका ध्यान आकृष्ट कराउंगा कि आपने पूर्व में शहरी विकास योजना से अन्य नगर निगमों की सड़क की स्वीकृति दी है तीन, सड़क- पूर्णियां नगर निगम की भी है, जिसकी स्वीकृति आपने दी है लेकिन राशि का स्थानान्तरण नहीं हुआ है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस राशि का अगर आप शीघ्र स्थानान्तरण करवा देंगे तो उस सड़क का निर्माण हो जायेगा ।

सभापति महोदय, शौचालय का निर्माण घर-घर हो रहा है । राज्य योजना से बुडको द्वारा सर्वे कराकर राज्य में नाला के निर्माण की योजना बनी है। इस बजट में उसका भी प्रावधान है और आऊट फौल ड्रेन जो सारे नालाओं को जोड़कर पानी की निकासी, जिससे हो सकती है, उसकी भी योजना बनायी गयी है ।

सभापति महोदय, यह जो बजट है बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है । इसके माध्यम से शहरों का बहुत विकास होगा । हमारे जन-प्रतिनिधि बोल रहे थे, निश्चित रूप से बिहार के शहरों की तस्वीर बदली है, चाहे वह पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, बिहारशरीफ हो, पूर्णियां हो, कटिहार हो लेकिन जो छोटे शहर हैं पटना के बाद, मुजफ्फरपुर के बाद हैं, उसकी तस्वीर को और भी बदलने की जरूरत है । महोदय, हमारे यहां से भी बुडको से सर्वे कराकर डी0पी0आर0 बनवाना था 2008 और 2013 में लेकिन अभी तक उसका डी0पी0आर0 नहीं बना है । मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो पूर्णियां का जो मानुषमारा धार, नरकटियागंज नाला, गुलाब बाग, जीरो माईल उसका भी जीर्णोद्धार शीघ्र से शीघ्र हो ।

महोदय, शहरों में जो बस स्टैंड हैं, उनके लिये भी बड़ी योजना बनी हुई हळ । हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी शहर हैं, नगर पर्षद हैं, वहां पर बस स्टैंड की योजना इस बजट में बनायी गयी है । मैं मंत्री जी का ध्यान पूर्णियां, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर है और वह बहुत पुराना शहर है, 1770 का शहर है । नेपाल, भूटान, बंगाल सभी अगल-बगल में हैं । इसलिए वहां पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जिसके लिये जगह भी चिन्हित हो गया है की

ओर मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे मित्र कह रहे थे, कि शहरों का विकास कम हुआ है, हमारे प्रति पक्ष के जो प्रतिनिधि है, मानते हैं कि शहरों का विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है । आज सारा शहर एल0ई0डी0 लाईट से जगमग है । अगर हम शहर की ओर कूच करें तो दूर से ही लगेगा कि हम जापान जैसे देश में हम आ गये हैं । लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि यह जो एल0ई0डी0 लाईट हो, जो 5 लाख 40 हजार की योजना बनी है, उसमें 2.5 लाख पोलों पर लाईट लगाने का काम पूरा हुआ है । मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो ऐसे क्षेत्र है, जो नगर निगम के बाद पषर्द के क्षेत्र हैं, अधिसूचित क्षेत्र के क्षेत्र हैं, वहां भी इस योजना को लागू करवाना चाहिए ।

महोदय, पार्कों को भी बनाने की योजना इस बजट में बनी है । 64.94 करोड़ की योजना अमरूत योजना से स्वीकृत है और पर्यावरण संवर्द्धन और संरक्षण के लिये केन्द्र और राज्य सरकार दोनों चिन्तित हैं, उसके लिये इस बजट में विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण का प्रावधान बनाया गया है । मैं पूर्णियां की ओर भी ध्यान माननीय मंत्री जी का आकृष्ट कराऊंगा कि वहां एक कप्तान पुल और गुजरा घाट है, वह शहर का सौरा नदी बगल का घाट है । जहां के सारे लोग की अंत्येष्टि स्थल है और वही मुक्तिधाम है । मैं आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आाकृष्ट कराते हुये हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इसलिए कि कई बार हम मुक्तिधााम पर विद्युत शवदाह गृह बनाने का आपसे आग्रह भी किये थे। महोदय, मैंने बजट में देखा है कि आपने लिया है लेकिन वहां भी शीघ्र उसका निर्माण हो जाए ताकि पर्यावरण का संवर्द्धन और संरक्षण हो सके । हमारे यहां केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भी अनेक काम शहरों में हो रहे हैं । राज्य योजना और केन्द्र योजना से भी हमारे यहां काफी काम हुये हैं । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का हमारे राज्य में जोर-शोर से कार्यक्रम हो रहा है । जो हमारे 142 शहर हैं उसमें 139 शहरों में कचरा उठाव का कार्य प्रारंभ है । इस दृष्टिकोण से जो हमारा सूखा और गीला कचरा, जो हरे एवं नीले रंग के डब्बे में उठाव किया जाता है और उसका कंपोस्ट पीट भी हर जगह बन रहे हैं । पूर्णियां में भी

उसकी तैयारी हो रही है, जिससे जैविक खाद तैयार किया जायेगा और नगर निगम उसे बेचने का भी काम करेगा, जिससे उसे राजस्व की भी प्राप्ति होगी ।

महोदय, सब के लिये आवास, यह प्रधानमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना है, चाहे गांवों में सलम बस्ती हो, चाहे अम्बेदकर बस्ती हो, समाज का कोई भी अंग हो, हर व्यक्ति के माथे पर छत होगा, यह सरकार का कमिटमेंट है और सरकार में विश्वास है । इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा- सबका साथ, सबका विकास और सवा सौ करोड़ की जनता ने देश के प्रधान मंत्री पर एन0डी0ए0 की सरकार पर विश्वास किया और इसीलिये आज देश में सब का साथ, सबका विकास और सब का विश्वास मिला है ।

सभापति महोदय,मैं सदन में आप के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि नगर निगम के चुनाव होते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नगर निगम के चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और इस नाते उनको कुर्सी बचाने में ही ध्यान एक ओर रखना पड़ता है, जिसके कारण नगर निगम और अधिसूचित क्षेत्र में विकास का काम अवरूद्ध हो जाता है ।

क्रमश : ...

टर्न-18/अंजनी/दि0 08.07.19

श्री विजय कुमार खेमका : क्रमश:..... इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिप्टी मेयर और मेयर का भी चुनाव मतदाताओं के मत से हो । जो कमिश्नर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, उसी तरह मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव कराने का सुझाव मैं मंत्री जी को देना चाहूंगा । महोदय मैं मंत्री जी का एक और विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि नगर निगम, नगर परिषद और अधिसूचित क्षेत्र में जब से नगर निगम और ये क्षेत्र बना, तब से सेकेंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी है, ये 20 साल, 25 साल से वहीं उनका पदस्थापन है । आजतक उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है, जिस तरह से अन्य विभागों में स्थानान्तरण की व्यवस्था है, जो नियमसम्मत है, वही यहां होना चाहिए । जहां तक मुझे जानकारी है कि शायद नियम नहीं बना है तो अगर नियम बनाना भी पड़े तो जो लोग बीस-बीस साल से एक-एक जगह पर रह गये हैं, उनकी सक्रियता कम हो गयी है, इसलिए थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं, उनके स्थानान्तरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए । अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि

हमारे जो छोटे-छाटे फुथफाथी दुकानदार हैं, जो कि फुथपाथ पर काम करते हैं और उसी से अपना परिवार चलाते हैं । उसके लिए अटल जी ने एक योजना भी दी थी कि हम वेंडिंग जोन बनायेंगे और वेंडिग जोन पर उन्हें बसाने का हम काम करेंगे ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, मेरा तो 15 मिनट समय तय है, जो पूरा भी नहीं हुआ है और हमारे पार्टी के एक जो हैं, वे बोल भी नहीं पाये । दो मिनट में अपनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, दो-तीन सुझाव है, वह सरकार को देने का काम करूँगा । मेरे यहां 2500 से ज्यादा फुथपाथी चिंहित हुए हैं, इसलिए वहां 11 वेंडिंग जोन भी चिंहित हुआ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस वेंडिंग जोन पर सारे ऐसे दूकानदार जो चिंहित हैं, उनको बसाने का काम किया जाय । हमारे यहां मछली का बाजार नहीं है, हमारे यहां तीन सब्जी के बाजार हैं- भठ्ठा सब्जी बाजार, मधुबनी सब्जी बाजार और खुश्कीबाग सब्जी बाजार, उसकी भी योजना आपके यहां है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें जीर्णोद्धार कर वहां की भी व्यवस्थित व्यवस्था बनाने का काम करेंगे, आपसे मेरा आग्रह है और दूसरा सभापति महोदय, इस विषय से यह एक अलग विषय है लेकिन इस हाउस में यह विषय आया है । इसलिए कि यह नगर निगम से भी जुड़ा हुआ है, विधायक निधि का जो हम काम करते हैं, उसका नगर में भी वह विभाग काम करता है । एल0ई0ओ0-1 और अभी उस विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर उनकी अभियंता का स्थानान्तरण हुआ है लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि उनका स्थानान्तरण हो लेकिन जो अभियंता काम कर रहे हैं, वह अपना काम पूरा कर लें और तब उनका स्थानान्तरण हो, तबतक के लिए उनका स्थानान्तरण रोका जाय । मैं सारी हाउस की भावना को आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी को रखने का काम किया हूँ, यही कहकर मैं पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव ।

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, नगर विकास विभाग का जो बजट आया है और कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा रखा गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, नगर विकास विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इस विभाग की जो स्थिति है, वह स्थिति आप लोगों के सामने है । जितना बजट में पैसा का प्रावधान किया गया है, उसके लिए आपके पास अभियंता नहीं हैं, जिसके कारण आपका काम जो बजट है, वह पूरा नहीं हो पाता है । कम-से-कम अभियंता की तो आप व्यवस्था कीजिए । मैं लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ । जब काम की बात

आती है, विकास की बात आती है तो कहते हैं कि इंजीनियर लोग नहीं है, हमलोग काम कैसे करेंगे । उसको तो आप कीजिए । जो कर्मचारी काम कर रहा है नगर निगम में, नगरपालिका में, नगरपरिषद में, नगरपंचायत में उसको आप समय पर वेतन नहीं देते हैं, चार महीना-पांच महीना का वेतन नहीं देते हैं, जिसके कारण वे कभी हड़ताल पर भी चले जाते हैं तो यह स्थिति बनी हुई है । आप शुद्ध जल की बात करते हैं, जो आपका टंकी है, जिससे पानी का सप्लाई कर रहे हैं, बहुत ऐसी जगह भी हैं, जहां आज पुराना पाईप लगा हुआ है और उसमें जंग लग गया है । आपको टंकी की सफाई महीना-दो महीना में करना चाहिए लेकिन वह साफ नहीं होता है, जिसके कारण वह गंदा पानी पीता है और उन्हें तरह-तरह की बीमारी होती है । तो यह स्थिति आपकी है । एक दिन हम गये थे निबंधन विभाग में, माननीय मंत्री जी, इसको ध्यान से सुनियेगा । हम वहां गये तो वहां निबंधन हो रहा था, एक साथी था, उसी के साथ हम चले गये । तो वहां झंझट शुरू हो गया । झंझट क्या शुरू हो गया कि यह मेन रोड है, यह शाखा रोड है, सबका कॉमर्शियल लगेगा । अगर आवासीय है तो उसको किस आधार पर कॉमर्शियल ले रहे हैं । यह कहां की नीति है, क्या आप इसी से पूरे वर्ष का बजट चलाना चाहते हैं । जो आवासीय है, जो कॉमर्शियल है, उसका अलग-अलग लगना चाहिए । दूसरी बात क्या झंझट है, अगर पांच कठ्ठा जमीन है, उसमें दो-तीन खेसरा है, अब कहता है कि उस खेसरा को अलग-अलग कीजिए और उसका दाम भी कॉमर्शियल के आधार पर अलग-अलग लगाइए । गली में जो आवासीय बनाये हुए हैं, परती जमीन है तो जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप क्या करना चाहते हैं ? यह सोचनेवाली बात है, चिंतनीय बात है । आवासीय को बिना आवासीय को सबको एक ही स्थिति में ले जा रहे हैं । जहांतक अतिक्रमण की बात है, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के चलते अतिक्रमण मजबूरी है लेकिन जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो लोग बसे हुए है, वैसे लोगों के लिए तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए । लाठी-डंडा गरीब पर चल रहा है, ठेला वाला पर चल रहा है, रिक्शावाला पर चल रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं । यह स्थिति बनी हुई है । जहां तक लखीसराय की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गरीब परिवार लखीसराय में हैं या बिहार के कोई भी शहर में हैं, जिनके पास जमीन एक धुर भी नहीं है लेकिन आपने तो योजना बना ली है कि भूमिहीनों को जमीन देकर उनका आवास बनायेंगे । जब आप उत्तर देना शुरू करेंगे तो निश्चितरूप से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसका जवाब दीजियेगा कि अभी तक में पूरे बिहार में और जितने भी शहर में बसे हुए लोग हैं, भूमिहीन को कितना भूमि देकर आवास बनाने का काम

किये, यह बताने का काम करेंगे । तो जो स्थिति है उस स्थिति में कैसे सुधार होगा, आपके पास तो मानव बल भी नहीं है...

...क्रमशः...

टर्न–19/राजेश/8.7.19

श्री प्रहलाद यादव, क्रमशः आपके पास कोई उसतरह का कार्यक्रम नहीं है, जिसके कारण आपको जो खर्च करने के लिए मिलेगा, उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए, वह व्यवस्था आपके पास नहीं है । सभापति महोदय, हम लखीसराय की कुछ समस्या के बारे में बताना चाहते हैं । हमारे यहॉ तीन, चार रोड है, कई सालों से यह जो रोड है वह बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में है, एक है पटना रोड से बाईपास, लखीसराय का बाईपास है, एक कवैया से लालीपहाड़ी होते हुए जिला मुख्यालय तक है, एक चितरंजन रोड है, जो लखीसराय टाउन थाना से ले करके मेन सड़क तक आता है, तो ये सारे के सारे रोड जो है, वह चलने लायक नहीं है, इसको बनाना चाहिए, आपका पदाधिकारी जो है, चाहे वह नगरपालिका हो, नगर निगम का हो और साथ ही जो हम बोले हैं, पटरी नहीं खाता है, पटरी नहीं खाने के चलते काम बाधित होता है, इसको कौन देखेगा, तो जब तक इनलोगों में समन्वय नहीं बनेगा, तो निश्चित रुप से काम आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा जो पड़ता है, वह मुंगेर प्रमंडल पड़ता है, तो वहॉ भी स्मार्ट सिटी होना चाहिए, हम भी मांग करते हैं कि प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए, अब तो आप यहॉ भी और वहॉ भी आप ही है, विशेष दर्जा तो नहीं ही मिला, विशेष पैकेज भी नहीं मिला, यह स्थिति हो गयी है आपकी, उम्मीद लोग लगाये हुए थे कि कम से कम विशेष पैकेज तो मिलेगा लेकिन वह भी नहीं मिला और विशेष दर्जा तो बहुत दूर की बात रही, यही तो स्थिति है, आपलोग हल्ला किये थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हल्ला किये थे, चूंकि आपलोग हल्ला किये थे, पैकेज तो हमलोगों को मिल जाता, हमलोग तो उम्मीद लगाये हुए थे कि पैकेज मिल जाय लेकिन नहीं मिला, यह तो स्थिति है।

अब मैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री जी से आग्रह करुंगा और यहॉ पर प्रधान सचिव जी भी बैठे हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूॅ कि हमारा क्षेत्र पड़ जाता है पहाड़ी और दो, तीन पंचाचत जैसे उरैन पंचायत हुआ,

खुदौली बनकर पंचायत हुआ, उसके बाद कुंदर, चौड़ाराजपुर, घोसैट, ये सारे पंचायत पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं और ऐसी स्थिति है कि गर्मी के समय पर टैंकर से पानी जाता है, उससे कोई निदान नहीं होता है, दलदल और पथरीली है, जब झारखंड जैसे जगह पर तथा अन्य जगहों पर जो पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, वहॉ पर पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, तो फिर क्या यहॉ पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमलोग इतना दिक्कत में है, आजादी से लेकर आज तक, आपका सात निश्चय वहॉ सफल नहीं होगा, सात निश्चय वहॉ फेल है, चूंकि वहॉ की जमीन पथरीली है, जब तक वहॉ पर स्पेशल मशीन ला करके पत्थर को तोड़ा नहीं जायेगा, तब तक वहॉ पानी मिलने वाला नहीं है, इसलिए आग्रह होगा कि इसपर ध्यान दीजियेगा ।

अब हम योजना एवं विकास की बात करते हैं । महोदय, हम तीन महीना पहले अनुशंसा करके दिये हुए हैं लेकिन आज तक उसका संपादन नहीं हुआ है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ है, एक था 95 का, ... (व्यवधान)

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री प्रहलाद यादव: कैसे, हमारा 16 मिनट समय पूरा हो गया । हमें तो 16 मिनट बोलना है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): आपका समय 10 मिनट था ।

श्री प्रहलाद यादव: 10 मिनट नही, 16 मिनट था ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): नहीं । आपका 10 मिनट का समय था । आप पार्टी से पूछिये, आपके बाद तीन आदमी और बोलने वाले हैं ।

श्री प्रहलाद यादव: ठीक है । एक मिनट सर, तो यह स्थिति है । सामुदायिक भवन में क्या दिक्कत होता है और भवन में क्या दिक्कत होता है, सी0ओ0 को एन0ओ0सी0 देना है, अगर कोई पर्सनल जमीन देना चाहता है, तो वह जमीन का ब्योरा जायेगा डी0एम0 तक और डी0एम0 जब इजाजत देगा, तब वह राज्यपाल के

नाम से होगा, तब वहाँ पर बनेगा और इस प्रक्रिया में कितना दिन लगता है, जानते हैं दो महीना से तीन महीना, सी0ओ0 जल्दी एन0ओ0सी0 देना नहीं चाहता है, तो कैसे काम होगा ? सात लाख तक था विभागीय करने के लिए और दो लाख, तीन लाख, चार लाख तक की योजना है और उसको टेंडर करने मे ही समय बर्बाद हो जाता है, यह स्थिति है इसलिए आपसे आग्रह है, अभी माननीय मंत्री जी नहीं है, वे बाहर होंगे, तो सुनते होंगे, इसलिए इसपर भी ध्यान दीजिये, इससे पहले तो हमलोग इसी का मांग किये थे कि जटिल जो आप प्रक्रिया बनाये हैं, इस प्रक्रिया को हटाइये और इसको सुलभ कीजिये ताकि हमलोग योजना दें और काम होते जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ । जय हिन्द ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह): माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा ।

श्री रत्नेश सादा: सभापति महोदय, मैं आज नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, राज्य के आर्थिक विकास एवं नगरों की आधारभूत संरचनाओं की एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है। महोदय, आज पटना जो दिखाई दे रहा है, वह 2005 से पहले पटना की सड़कें ग्रामीण सड़कों जैसी थीं लेकिन जब हमारी सरकार बनी, तो आज बेली रोड हो, बीरचन्द्र पटेल पथ हो, यह फोर लेन में है और इतना ही नहीं महोदय जितने भी ओभरफ्लाई ब्रीज बने हैं, यह हमारी सरकार की देन है, जो पहले पटना में भारी जाम की समस्या होती थी, इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जगह-जगह पर जहाँ विशेष जाम लगती थी, वहाँ ओभरफ्लाई ब्रीज बनाये गये हैं, महोदय और इतना ही नहीं, सभी समाज के साथ विकास करते हुए नगर विकास एवं आवास के तहत आज अल्पसंख्यकों के लिए हमारी सरकार ने हज भवन बनाने का काम किया, आज हज भवन बनने से लोग मक्का मदीना जाते हैं । महोदय, नियंत्राधीन 12 नगर निकायों एवं 49 नगरपर्षद् एवं 81 नगर पंचायत कार्यरत है महोदय, सात निश्चय योजना के तहत तीन निश्चय योजना जैसे बुडको द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नि:शुल्क जल उपलब्ध

कराया जा रहा है, 250 से लेकर 1000, 1500 घरों में अलग-अलग मॉडल तैयार की गयी है, इस योजना के तहत महोदय सभी नगर निकायों कुल 33 हजार 81 वार्डों में लक्ष्य है, 33 हजार 41 वार्डों में महोदय 30 हजार 97 की निविदा हो गयी है, महोदय, 2589 वार्डों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है, निश्चय योजना के पूर्व 33 लाख, 33 हजार, 9 घरों में 39 लाख, 99 हजार, 88 अर्थात् 7 करोड़, 33 लाख, 297 उपलब्ध करा दिया गया है महोदय ।

क्रमशः

टर्न-20/सत्येन्द्र/8-7-19

श्री रत्नेश सादा(क्रमशः): मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना । महोदय, राज्य के सभी नली गली पक्कीकरण के निश्चय योजना लागू है महोदय, सभी नगर निकायों के 33081 में से 33012 बार्डों में निविदा की गयी है । 6408 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 29 लाख 55 हजार 16 घरों के लोग पक्की नली गली योजना से लाभान्वित हो चुके हैं । महोदय, 2018-19 में इसके लिए सरकार 35 अरब रू0 आवंटित कर चुकी है और 2019-20 में इस योजना में 450 करोड़ का बजट प्रस्तावित है । महोदय, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना, स्वच्छ भारत मिशन में महोदय, इस योजना में 2019-20 में कुल 4 अरब 87 लाख 36 लाख रू0 शौचालय के लिए उपलब्ध कराया गया है । महोदय, 4 हजार रू0 केन्द्र सरकार एवं 8 हजार रू0 राज्य सरकार शौचालय निर्माण में देती है और इस दीर्घकालिक योजना के लिए सरकार कृतसंकल्पित है महोदय, राज्य के सभी निकायों में पोखर उड़ाही, तालाब, वृक्षारोपण, पार्क, खेल मैदान आदि एवं सार्वजनिक सोख्ता निर्माण की कार्रवाई की जा रही है महोदय । महोदय, नागरिक सुविधा के लिए 39 नगर निकायों में बस स्टैंड के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है जिसमें 18 नगर निकायों में कुल 60.33 प्रतिशत काम हो चुका है । महोदय, 3 अरब 23421 करोड़ रू0 का यहां अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया गया है । महोदय, मैं महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूॅ कि सहरसा जिला नगर परिषद क्षेत्र जो है वहां काफी दयनीय

स्थिति है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूॅ सहरसा जिला में सड़कों का निर्माण किया जाय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूॅ कि सहरसा में रेलवे ओवर ब्रीज का निर्माण कराया जाय । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मै अपनी वाणी को विराम देता हूॅ ।

श्री प्रकाश राय: सभापति महोदय, मैं 2019-20 के लिए पेश नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ । महोदय, राज्य सरकार शहरों के विकास करने के लिए कृतसंकल्पित है और इसके लिए युद्धस्तर पर कार्यरत है ताकि आमजनों को इसका लाभ मिल सके । महोदय, सरकार सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है और इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरूआत की गयी है जिसके अन्तर्गत 15.63 लाख परिवारों में से अबतक कुल 2.88 लाख परिवारों के घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है । महोदय, सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अन्तर्गत 4.75 लाख के विरूद्ध अबतक 2.72 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अभी 1.72 लाख निर्माणाधीन है, उसी प्रकार 4,952 सीट के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 4,459 सीट के सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है । महोदय, 143 नगर निकायों के 3,367 बार्डों में से अबतक 3270 बार्ड ओ0डी0एफ0 हो चुके हैं और 99 नगर निकाय को भारत सरकार के थर्ड पार्टी एजेंसी क्यू0सी0आई0 द्वारा ओ0डी0एफ0 घोषित किया जा चुका है। महोदय, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत लक्षित 3.65 लाख घरों में से अबतक कुल 2.52 लाख घरों को पक्की नाली गली से जोड़ा जा चुका है । महोदय, सरकार अमृत योजना के अन्तर्गत औरंगाबाद और जमालपुर में रहने वाले सभी लोगों को पेयजल आपूर्त्ति करने की दिशा में कार्य कर रही है और जल्द ही मुंगेर में भी आवासित सभी लोगों को पेयजल आपूर्त्ति कराने की दिशा में अग्रसर है । महोदय, सरकार द्वारा 29 अन्य शहरों/नगर निकायों में बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें से 24 में कार्य पूर्ण हो चुका है । महोदय, सरकार राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल, सबके लिए घर सभी घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित

है । राज्य सरकार द्वारा सबके लिए घर योजनान्तर्गत 2 लाख 25 हजार का घर निर्माण कराने की योजना है जिसमें से अबतक विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 2922 लाभुकों को आवास ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है । महोदय, पटना में 25. 96 एकड़ में अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है जहां से 3000 बसें प्रतिदिन चला करेंगी । महोदय, राज्य सरकार विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार का भी कार्य कर रही है जिसके तहत पटना के बांसघाट, गुलबीघाट, खांजेकला, तथा वैशाली के कोनहारा घाट में स्थित विद्युत शवदाहगृह का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और भागलपुर, मोकामा, वीहट, सोनपुर, मुंगेर, नगरपरिषद सीतामढ़ी और नगर पंचायत रिविलगंज में नये शवदाह गृहों का निर्माण कराने की ओर अग्रसर है । महोदय, सरकार पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु सभी कार्य कर रही है । पटना स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मंदिरी विकास योजना, अदालगंज झील क्षेत्र विकास योजना, इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल डाटा सेंटर योजना तथा भागलपुर स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्मार्ट रोड योजना, इंटिग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जायेगा । महोदय, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में दानापुर से मीठापुर एवं द्वितीयचरण में पटना जंक्शन से अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल तक मेट्रो रेल की स्वीकृति केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा दी जा चुकी है और जिस पर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू किया जायेगा । महोदय, नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत बेऊर सैदपुर, करमलीचक, पहाड़ी, कंकड़बाग और दीघा सिवरेज नेटवर्क और एस0टी0पी0 का कार्य प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य सरकार फ्लोराईड आर्सेनिक और लौह प्रभावित क्षेत्रों में हर घर नल जल पहुंचाने का कार्य कर रही है जिसके तहत अबतक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हित सभी 3814 वार्डों में 748 योजनाएं पूर्ण की गयी है और 3811 वार्डों में कार्य चल रहा है । उसी प्रकार आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हित 5085 वार्डों में 31 योजनाएं पूर्ण की गयी है और 3811 वार्डों में कार्य चल रहा है । महोदय, लौह प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हित 21598 वार्डों में 134 योजनाएं पूर्ण की गयी है और 13 हजार वार्डों में कार्य चल रहा है । महोदय, सरकार द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित/निर्माणाधीन पाईप

जलापूर्त्ति योजना में शामिल 8 हजार 27 वार्डों में से 4651 वार्डों के लिए योजना स्वीकृत की गयी है और 942 वार्डो में योजनाएं पूर्ण हो चुकी है । महोदय, सरकार द्वारा राज्य के मस्तिष्क ज्वर प्रभावित 15 जिलों में शुद्ध पेयजल के लिए आई0एम0-2 पम्प के साथ 4250 नए चापाकलों का निर्माण कार्य करा रही है । महोदय, सरकार द्वारा राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1500 जगहों पर कैटल ट्रफ का निर्माण करा रही है साथ ही साथ 4200 आई0एम0-2 पम्प के साथ नये चापाकलों का निर्माण कार्य करा रही है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा हर घर नल जल के तहत राज्य के 4095 ग्राम पंचायतों को कुल 56079 वार्डों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्य चल रहा है। (क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/08.7.2019

...क्रमशः...

श्री प्रकाश राय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे बेतिया जिला में कोई भी विद्युत शवदाह-गृह नहीं हैं, हम बेतिया जिला में और अपने क्षेत्र चनपटिया के लिए भी विद्युत शवदाह-गृह की माँग करते हैं और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे सभापति महोदय ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त कर दीजिये । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ । 10 मिनट आपका समय है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, नगर विकास विभाग के बजट पर लाये गये कटौती-प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ ।

महोदय, इतने दिनों से सुन रहा हूँ और सोचता हूँ कि आखिर नगर विकास विभाग पर चर्चा होती ही क्यों है ! जो नगर निकाय कचरा निस्तारण संयंत्र न लगा पा रहा हो और कुछ गिने-चुने मोहल्ले में उठाये गये कचरा को कभी यहाँ से वहाँ कर दे, उधर से इधर कर दे और यहीं का अन्यत्र फेंक कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान ले और उस पर चर्चा करके शायद

हमलोग कुछ हासिल नहीं कर पायेंगे । महोदय, आखिर वह कौन-से कारण हैं? ये कौन-से कारण हैं जो राज्य के नगरों को रहने लायक बनने नहीं देते हैं ? सही मायने में मोर जब जंगल में नाचता है और अपने पैर की तरफ देखता है तो शायद वह शरमा जाता है । मधुबनी मेरा है लेकिन मुजफ्फरपुर के मंत्रीजी का भी मधुबनी है, मेरा भी मुजफ्फरपुर है । 143 निकाय सभी विधान सभा से जो लोग जीतकर आये हैं, क्यों नहीं ऐसी प्लानिंग होती है ? हमको लगता है कि कहीं न कहीं साजिश है । डबल इंजन की सरकार में साजिश चल रही है कि लगातार 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस विभाग के मंत्री बनते रहे हैं और उनको बजट नहीं दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, उनको ढंग से काम नहीं करने दिया जाता है । इतने अच्छे-अच्छे मंत्री होते हैं कि पूर्व के मंत्री ने कहा कि हमें मौका मिला है, अगली बार पटना को हम सिंगापुर बना देंगे । आज तो देख रहे हैं 14 साल से, सिंगापुर बन गया ! हम अपेक्षा करते हैं सारे लोगों से कि पक्ष-विपक्ष की बात को हटाकर निश्चित तौर पर वह बजट दिया जाय और बजट बनाकर पूर्णतः उसको खर्च किया जाय, लगातार हम देख रहे हैं कि बजट मिलता है, वह खर्च नहीं हो पाता है । क्या कारण है ? समझ में नहीं आता है । हमलोग एम0एल0ए0 लगातार 2003 से लड़ते-लड़ते सोचते रहे, एक नाला का आजादी के बाद एक बार हमें मधुबनी के लिए पैसा मिला, उसके लिए हम माननीय मंत्री जी को, पूरे मंत्रिमंडल को और सारे पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि आजादी के बाद मौका मिला, 2003 से लगातार हम लड़ रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन एक केवल नाला का हमको मधुबनी में योजना मिला । (व्यवधान) दरभंगा भी मेरा है और मधुबनी भी आपका है, ध्यान रहे । निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो परिस्थिति..... (व्यवधान)

संजय भाई, आप भी जब मंत्री होइयेगा तो आप भी दीजियेगा और हम होंगे तो आपको दे देंगे । हम तो कह रहे हैं कि 143 निकाय के बारे में सोचिये, प्लानिंग कीजिये और उस जगह पर जाइये । आप उस तरफ देखें कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को साजिश के तहत जदयू वाले किस ढंग से कुंदक की तरह यत्र-तत्र-सर्वत्र फेंक रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं चल रहा

है । ग्रामीण सड़कों के लिए 5 साल तक मेन्टेनेंस पॉलिसी है, नगर विकास में कौन-सी पॉलिसी है ? कौन-सी सड़क बन रही है और गुणवत्ता के साथ बन रही है, यह सारे सदस्य अपने-अपने छाती पर हाथ रखकर सोचे । उस सोच के साथ आप धरातल पर उतरिये । सभी साथी तो कहते हैं कि इंजीनियर नहीं है, कोई साथी कहते हैं कि एक्ज्युकिटिव अफसर गया है वह सही नहीं है । हम तो कह रहे हैं कि लगातार हम 25 वर्षों से पटना में देख रहे हैं कि कोई माननीय सदस्य जिस फ्लैट में रहते हैं, दस जगह उनको चिरौरी करना पड़ता है, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेकर सब जगह लेकिन वहीं हाईकोर्ट है पटना में, एक जगह आप सूचना देते हैं, सारे लोग आपका काम करके चले जाते हैं । यह कौन-सा हाईकोर्ट का डंडा है? यह समझने की बात है ।

एक तरफ आप जनसंख्या वृद्धि के आप शिकार हो रहे हैं, अरबन पर आपने लगा दिया, ग्रामीण पर छोड़ दिया । लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र जदयू का है और अरबन क्षेत्र भाजपा का है, यह मानकर चला गया है । संजय भाई, हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहॉ पर आपका भी ध्यान होगा लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि ज्यादा चर्चा न करते हुये, महोदय, नगर निकाय अपने क्षेत्राधीन आवासों से होल्डिंग टैक्स लेता है और कड़ा से कड़ा कानून बनाकर इस सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया है कि अगर होल्डिंग टैक्स बकाया रहेगा तो सरकार मकान को भी जब्त कर सकती है । लेकिन उस होल्डिंग टैक्स के एवज में नगर निकाय उन्हें क्या देता है, जनता को क्या देता है ? जनता तो आपको भी पूछती है, हमें भी पूछती है । क्या उन्हें पहले जो रोशनी की सुविधा मिलती थी, अब कहॉ तक पहुँची । जहॉ आप सफल हुये हैं, आप उसको टिक लगा लें, जहॉ आप असफल हैं, आप ध्यान देने का काम करें । हम यह नहीं कहते हैं, जहॉ सही मायने में आपने काम किया है, कुछ दिख रहा है, रोशनी के क्षेत्र में कुछ दिखा है । लेकिन जहॉ-जहॉ गलतियॉ हो रही हैं, शायद अगर हम पूरी तरह कहें तो मेरा समय भी शायद 10 ही मिनट है, सभापति महोदय, मैं सही मायने में यह कह सकता हूँ कि 50 लाख मधुबनी की आबादी है, समस्तीपुर की आबादी है, जमुई की आबादी है, मैं चर्चा करूँगा कि कहीं न

कहीं वहाँ पार्क नहीं हैं, कहीं न कहीं आपकी जो योजना है सम्राट अशोक भवन का, नहीं बन सका है । मैं अपेक्षा करता हूँ कि मुँगेर की धरती जिसको दानवीर कर्ण की धरती है, सोना दान किया जाता था, शायद वहाँ कोई प्याऊ–जल की अपेक्षा जो जनता को है, वह उपलब्ध नहीं है ।

महोदय, नगर निकाय अपने क्षेत्राधीन आवासों से होल्डिंग टैक्स लेता है और कानून इस सरकार ने इतना कड़ा बनाया है कि अगर होल्डिंग टैक्स बकाया रहेगा तो सरकार मकान को जब्त तक कर सकती है लेकिन उस होल्डिंग टैक्स के एवज में नगर निकाय क्या देता है कभी इस पर विचार किया जाता है ? नगर निकायों को नगरीय क्षेत्रों में रोशनी, पानी, सड़क जल निकासी जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है परंतु आप किसी भी शहर में घूम जाइये न पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है, न पेयजल स्वच्छ दिया जा रहा है। सड़क की तो स्थिति यह है कि मुहल्ले के अंदर की कोई भी सड़क चाहे वह मुख्य ही क्यों न हो चलने लायक स्थिति में नहीं रह गयी है। जल निकासी पर तो बोलना ही बेकार है । कहीं भी समुचित नाला बना हुआ नहीं है । मैं मधुबनी शहर के अपने घर गिलेशन बाजार की बात करता हूँ वहाँ नाला है जो जाम है। उसकी सफाई ड्रिलिंग मशीन से हो सकती है जो भारत संचार निगम के पास उपलब्ध भी है परंतु वर्षों से केवल बातें हो रही हैं उस नाला की सफाई नहीं होती है और कुछ ही मिनटों की बारिश में हम सबलोग अपने–अपने जूते–चप्पल खोल कर नाला के पानी में चलने के लिये विवश हो जाते हैं । यही स्थिति सभी शहरों की है ।

महोदय, नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन उस पर सरकार बिल्कुल मौन है । आप उत्तर प्रदेश चले जाइये उसके दर्जनों शहर राजधानी लखनऊ के टक्कर के हैं परंतु बिहार में एकमात्र शहर है और वह है पटना जिसकी आबादी सिर्फ इसलिये बेतहाशा बढ़ रही है क्योंकि अन्य शहरों में पटना जैसी न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं हैं । 14 वर्ष से आपकी सरकार है, पूरे देश में विजनरी नेता के तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाने जाते हैं लेकिन

14 वर्षों में क्यों नहीं एक भी शहर ऐसा विकसित हुआ जहां लोग पटना के बनिस्बत ज्यादा रहना पसंद करते ।

महोदय, मैं एक बिंदु की ओर आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूँ। चाहे राजधानी पटना हो या राज्य के अन्य कसबाई शहर, सभी में जाम की भयंकर समस्या है । पूर्णियां से पटना जीरो माईल तक भेले आप चार घंटे में आ जायं लेकिन अपने घर कितनी देर में पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है । 2010 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ने दूरदृष्टि रखते हुए अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने का वादा किया था लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद जाम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया । निजी गाड़ियों वाले वयस्क तो किसी शहर से शहरी सड़कों पर चल लेते हैं लेकिन कलेजा फट जाता है जब बसों में भूख प्यास से बिलखते बच्चे-बच्चियां स्कूल से लौटने के क्रम में घंटों जाम में फंसे रहते हैं ।

जमुई नगरपालिका के साफ-सफाई का टेन्डर अभी तक नहीं किया गया है। सरकारी पदाधिकारी के द्वारा लूट-खसोट किया जा रहा है जो जॉच का विषय है । जमुई में हमें पता चला कि कूड़ा उठाओ मशीन चलता भी नहीं है और लाखों-लाख रूपये पैसे निरर्थक बरबाद हो रहे हैं । जमुई में अभी तक जल निकासी का कोई उपाय नहीं किया गया है । जमुई नगर निगम में सफाई के लिए आज से पहले जो भी डस्टबिन एवं अन्य सामग्री खरीदा गया, अपने पैसे से 10-गुणा कीमत पर खरीदा गया, यह जॉच का विषय बनता है । जमुई नगर में सारे इन्दिरा आवास गरीबों को न देकर अच्छे घर वाले लोगों को दे दिया गया, यह जॉच का विषय बनता है । कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि गंदगी के आधार पर सफाई में जो खर्च हो रहे हैं, जो एन0जी0ओ0 पैसा ले रहे हैं, सही जगह पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है और जिनसे भी करावें, निश्चित तौर पर इसपर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे ।

हाजीपुर के टाउन हॉल का भी छत चू रहा है । महोदय, जहॉ से मैं आता हूँ, मधुबनी विधान सभा से, लगातार 50 लाख की आबादी 10 विधान

सभा क्षेत्र का, सारे लोग मधुबनी पर आश्रित होकर आते हैं । क्यों नहीं अच्छा-अच्छा जगह बना रहे हैं ? बिहार में ही पटना छोड़कर कौन-सा जगह आपने बना दिया ? अभी बात हो रही थी कि भागलपुर में 24 घंटा में सिर्फ 11 घंटा ही बिजली की लाईन रहती है । क्यों ? निश्चित तौर पर बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है लेकिन भागलपुर क्यों पीछे है ? लेकिन हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि भागलपुर में बहुत कुछ हुआ है, हम भी देखते हैं । हमारे यहाँ मधुबनी में अभी तक बस स्टैंड की व्यवस्था है ही नहीं। मधुबनी शहर के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, पक्कीकरण, नाली का निर्माण शायद नहीं हो पा रहा है पिछले कई वर्षों से। मधुबनी शहर को अतिक्रमण से मुक्त करना एवं जाम की समस्या से निजात दिलाना आवश्यक है । महोदय, कहीं भी आप जाते हैं, सरकार की नीति रही है कि 6 घंटा में आप कहीं से कहीं पहुँच जाइये, 5 घंटा किया गया लेकिन जहाँ घर से निकलते हैं और जिस घर तक पहुँचना है, कब पहुँचेंगे कोई गारंटी नहीं है, शायद आप मान लें कहीं न कहीं हम पीछे हैं । मधुबनी शहर के लिए बाइपास शहर का निर्माण, सकरी, कनकपुर से सौराठ तक, विश्वस्तरीय सौराठ का जो निर्माण हो रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय रोड से लेकर कोशी नहर पर सड़क निर्माण की बात कहनी है ।

सभापति (श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब समाप्त करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, केवल एक मिनट समय लेंगे । मधुबनी शहर के अन्दर 2005 के बाद ही, पानी का लेवेल जो नीचे चला गया था, भू-गर्भ जल संग्रह के लिए शहर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना एवं उड़ाही के लिए हम सरकार से चाहेंगे कि पैसा दिया जाय, फंड की व्यवस्था की जाय ।

...क्रमशः...

टर्न-22/शंभु/08.07.19

श्री समीर कुमार महासेठ : क्रमशः...जहां तक बात है वेंडिंग जोन का लगातार 2018 से ही हमारा बार-बार पत्र जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पैसे का आवंटन नहीं हो

रहा है । इस सरकार की पौलिसी में हम देखते हैं कि सभी जगह जा रहा है, लेकिन मधुबनी को नहीं जा रहा है ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : निश्चित तौर से अपनी बातों को समाप्त करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह) : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, 2-3 मिनट में समाप्त करें ।

श्री अजीत शर्मा : क्यों सर, 9 मिनट नहीं बोल सकता हूँ ।

सभापति(श्री वीरेन्द्र सिंह) : आपके पार्टी नेता ले लिये तो हम क्या करें ।

श्री अजीत शर्मा : श्रवण बाबू, इसलिए कम समय दिया जा रहा है चूंकि मैं भागलपुर से नगर विकास का पूरा आइना रखता सदन के सामने कि काम क्या हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, अभी नगर विकास एवं आवास विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय है । पूरे बिहार के गांव के लोग नगर आते हैं और नगर की हालत को देखकर वे मैसेज देते हैं चूंकि वे इलाज कराना हो, मार्केटिंग हो वे यहां आते हैं । अभी-अभी एक माननीय विधायक भाई बोल रहे थे कि पटना 15 वर्षों में बहुत सुधरा है । आज बारिश हुई है पूरे पटना में- अभी मैं श्री कृष्णापुरी रोड से आ रहा था, ये माननीय विधायक अशोक बाबू बैठे हैं डेढ़ फीट पानी मेन रोड पर आगे पीछे लगा था मैं गाड़ी से आ रहा था, यही विकास हुआ है । ऐसा है कि सबलोग जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलेप्स है । मैं बताउं स्मार्ट सिटी की एक भाई चर्चा कर रहे थे भागलपुर शहर सबसे पहला शहर पूरे बिहार में मई 2016 में चयनित हुआ था और उस स्मार्ट सिटी की हालत क्या है वह मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ, क्या काम हुए हैं । जो भी वहां अधिकारी तत्परता के अभाव में यह योजना आंशिक रूप से भी धरातल पर नहीं आया है जबकि इस मद से अधिकारियों द्वारा करोड़ों रूपया खर्च किया जा चुका है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उदाहरणस्वरूप शहर से तिलकामांझी चौक पर प्रतिकात्मक ट्रैफिक सिग्नल लाइट, शहर के 5-6 स्थानों पर एल0इ0डी स्क्रीन, कुछ पार्कों में झूला का निर्माण कराया गया एवं शहर के मुख्य मार्ग के किनारे बायो टॉयलेट का निर्माण कराया गया जो रख-रखाव के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ है । आप यह देखिए आम लोगों को स्मार्ट सिटी योजना का काम धरातल पर नहीं दिख रहा है लेकिन अधिकारियों ने इस मद में 7.73 लाख रूपये फूक डाले। शहर के टाउन हॉल के सज्जा के नाम पर प्रतीक एजेंसी को 2.54 लाख का भुगतान कर दिया गया । शहर के स्मार्ट सिटी के नाम पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें 4.83 लाख रूपये खर्च किये गये । शहर के चौक-चौराहे पर वाइ-फाई नहीं लगा, लेकिन इन्टरनेट कनेक्शन के नाम पर इनफिनेक्ट टेक्नोलोजी को 16.66 लाख रूपये एवं अमौर इन्ट्रो को 16.20 लाख रूपये का भुगतान किया गया जिसके लिए मात्र कोटेशन का इस्तेमाल किया गया, जो वित्तीय मानकों के अनुरूप नहीं है । दो वर्ष पूर्व शहर के चौक-चौराहे पर आउटडोर एल0इ0डी0 लगाने के लिए इन्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर को 40 लाख रूपये का अग्रिम राशि का भुगतान किया गया, लेकिन एल0इ0डी0 लाइट की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है । स्मार्ट सिटी बोर्ड द्वारा चयनित पीडीएमसी ने निम्न योजनाओं पर कार्य करने का दावा किया गया जो निम्न प्रकार है । स्मार्ट रोड 370 करोड़, कमांड ऐंड कंट्रोल बिल्डिंग 5.50 करोड़, मास्टर इन्ट्रीगेट कंट्रोल एवं कमांड सिस्टम 202 करोड़, सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट 34 करोड़ इसी तरह से बहुत सारे में किया गया, चूंकि समय कम है इसलिए शार्ट कर रहे हैं । उपरोक्त योजना आज तक धरातल पर नहीं आ सकी । कूड़ा निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने जमीन अधिगृहित करके कन्कैथी ग्राम में दिया लेकिन जो स्मार्ट सिटी का सड़क बनना था वह आज तक नहीं बना और जो कूड़ा-कर्कट उठाये जाते हैं उनको सड़कों के किनारे फेंका जाता है । आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं बना । स्मार्ट सिटी योजना की हकीकत तो यह है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0कं0 आज तक अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति भी नहीं कर पायी है, काम होना तो बहुत दूर की बात है ।

अध्यक्ष : चलिए ।

श्री अजीत शर्मा : सर, हम शार्ट कर रहे हैं, 9 मिनट था तो 3-4 मिनट भी बोलने दीजिए । ऐसे स्मार्ट सिटी योजना के उद्देश्य को कतई पूरा नहीं किया जा सकता है । नौकरशाही सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मजाक उड़ा रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, कोई भी जनप्रतिनिधि को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता और पानी की जो समस्या है, पहले तो मैं धन्यवाद दूं कि पैन इंडिया वुडको के द्वारा धीरे काम चल रहा था वह काम 25 परसेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव के माध्यम से मैंने आग्रह करके 19 बोरिंग ले गया, लेकिन उसमें भी एक ही बोरिंग चालू हो सका, अभी तक 18 चालू नहीं हुआ है । मैं आपको बताना चाहता हूँ वाटर वेज बरारी में जहां से पानी सप्लाय होता है शहर में उसमें नाले के गन्दे पानी अभी भी जा रहे हैं जो जनता को मुहैय्या कराया जा रहा है । ये विकास का आइना है और इस बार एक भाई बोल रहे थे कि इस बार लोक सभा चुनाव में विकास ने जीत दर्ज किया है, विकास नहीं देश की सुरक्षा के नाम पर जनता ने वोट दिया है । विकास देखना हो तो भागलपुर शहर चलिये । बिजली 16 घंटे 23-24 घंटे के बदले रह रहा है, विकास बिलकुल नहीं हो रहा है । भागलपुर को जाम से निजात के लिए फ्लाइओवर बनाना है वह भी काम नहीं चल रहा है । जबतक सर सड़क चौड़ी नहीं होगी तब तक बिजली का अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं जायेगा दोनों का तालमेल एक है । शहर का देखना है विकास और शहर के विकास से ही बिहार का विकास का पता चलता है, आग्रह है कि वहां पर देखें और एक जॉच कमिटी बैठा दें जो रूपये का घोटाला हुआ है क्यों हुआ है ? स्मार्ट सिटी 2016 में चयनित हुआ सर । पैन इंडिया वुडको को 2015 में काम दिया गया कोई काम धरातल पर नहीं हुआ, एक उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर जॉच करा दें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । धन्यवाद।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। विभाग तो महोदय नगर विकास का है, लेकिन मेरे विधान सभा में चकाई एवं सोनो दोनों नगर पंचायत की सारी अर्हता पूरी करता है, लेकिन आज तक नगर पंचायत घोषित नहीं हुआ है । महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मांग करती हूँ कि दोनों को नगर पंचायत बनाया जाय । सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र तालाब, नदी, झरना से परिपूर्ण है फिर भी नल जल योजना में बोरिंग कर भूजल का दोहन करने का प्रयास हो रहा है, जबकि तालाब का सतही जल शुद्ध पीने के लायक है । जो तालाब डैम है, उसका निर्माण कराकर या क्षमता का विस्तार करके ताकि उसका शुद्ध पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाय जिससे आनेवाले भविष्य में पानी के संकट को रोका जा सके । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से योजना एवं विकास विभाग के माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास योजना में मेरे द्वारा अनुशंसा करने का वक्त बीत चुका है, लेकिन कार्य को संबंधित पदाधिकारी द्वारा नहीं कराया जा सका है । अध्यक्ष महोदय, मैं योजना मंत्री से विशेष ध्यान देकर चकाई विधान सभा मुख्यमंत्री विकास योजना की सभी लंबित योजना को तीन माह के अंदर पूरा करवाकर प्रतिवेदित करने का निदेश जमुई जिला प्रशासन को दें । अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, लेकिन इतने दुख की बात है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ । मेरे विधान सभा के दोनों प्रखंड चकाई और सोनो के 90 प्रतिशत गांवों में पेयजल की स्थिति बिलकुल नदारद है । सरकार के सात निश्चय योजना के हर घर नल जल योजना द्वारा ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की नीति केवल कागज पर ही है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जमुई प्रमंडल द्वारा आंकड़ा सरकार मंगवा लें दोनों प्रखंडों के 90 प्रतिशत गांव के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जो मानसून धोखा देने से विगत दो वर्षों से आम जनों को गंदा पानी पीने को भी भरपेट नसीब नहीं हो रहा है । मैं सरकार को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए महोदय मैं आग्रह करती हूँ कि....

अध्यक्ष : हो गया, और कोई बात है तो बता दीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : क्षेत्र का ही बोल रहे हैं सर, एक मिनट ।

क्रमशः

टर्न–23/ज्योति/08–07–2019

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं आग्रह करती हूँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्र मंत्री से कि पेय जल एवं छोटे पंप की व्यवस्था यथाशीध्र करें ताकि भगर्भू जल स्तर ऊपर उठ सके जिससे चकाई एवं सोन्हो प्रखंड के अलावे जमुई जिला के अन्य प्रखण्डों तथा लक्ष्मीपुर, धरहर झाझा खैरा आदि प्रखण्डों के ग्रामीणों को लाभ हो सके मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआहै जहाँ पर मीनी जल टावर के माध्यम से हर गोंव में पंय जल की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी जा सकी है । सत्य तो यह है कि मीनी जल टावर के नाम से केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में लूट मची हुई है, सरकारी धन की बर्बादी हो रही है । पेय जल की समस्या हमारे क्षेत्र में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । काश इस सरकार को मेरे क्षेत्र के प्रति ध्यान रहता तो शायद पूरा विधायक के अनुशंसा के आधार पर हर पंचायत में आबादी के हिसाब से चापाकल अधिष्ठापन की व्यवस्था की शुरुआत अतिशीघ्र की जा सके जिससे ग्रामीणों की पेय जल की समस्या का बहुंत हद तक निजाद दिलाया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जमुई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने में बहुत विलम्ब किया जाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब समाप्त कीजिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : इसपर विशेष ध्ययान दिया जाय आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद । जय लालू जी, जय राष्ट्रीय जनता दल ।

अध्यक्ष : महबूब जी, ठीक दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये घड़ी देख लीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, नगर विकास के नाम आज मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया साथ साथ नगर विकास का पर्याय बन गया है बड़ी बड़ी अट्टालिका बनना बड़े बड़े होटल बनना अमीरों के लिए ख्वाबगाह बनना ऐशगाह बनना लेकिन महोदय, हमारी जो

रईसी है हमारे जो ख्वाबगाह बन रहे हैं उनको बनाने वाले जो गरीब मजदूर है श्रमिक वर्ग है महोदय? उनके लिए कोई भी चर्चा इस बजट में नहीं है । महोदय, एक जगह कहा गया है कि स्वस्थानी स्लम पुनर्विकास तो स्वस्थानी का समझता हूं कि जिस जगह गरीब बसे हुए हैं उसी जगह में जो स्लम थे यउसी जगह विकास करने की बात है महोदय, स्लम उजाड़े जा रहे हैं गरीबों की बस्तियॉ निर्ममता से उजाड़ी जा रही है । आपने देखा कि गर्दनीबाग को किस तरह से उजाड़ दिया गया । अभी फुलवारीशरीफ का अम्बेदकर नगर उजाड़ा जा रहा है और पटना न्यू मार्केट का जो गरीब बस्ती थी जो बकरी बाजार जो कबाड़ीखाना और जो खस करे जिस जगह में मुस्लिम लोग रहते थे..

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री महबूब आलम : उन जगहों को उजाड़ा गया । महोदय, और नगर विकास की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं कि नगर विकास में जो बंद खाता है बंद खाता को चालू किया जाय । जबतक बंद खाता को चालू नहीं किया जायेगा तबतक म्युटेशन नहीं होगा जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है ।

अध्यक्ष : ठीक है,श्री गुलाब जी, एक मिनट में अपनी सिर्फ एक बात रख लीजिये ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । मेरा कहना यही है कि नगर पंचायत विभाग इतना बड़ा है पिछले टाईम भी हमने सुझाव दिया था कि नगर विकास में हमेशा आवास योजना के तहत दिए थे कि प्लानिंग होता है सरकार का पैसा खर्च हो जाता है। प्लानिंग होना चाहिए 100 वर्ष आगे के लिए यहॉ क्या होता है इस साल भी खर्च करते हैं वापस तोड़ करके वापस सरकार खर्च कर दुरुपयोग करती हे लास्ट टाईम भी कहे थे कि बढ़िया प्लानिंग बढ़िया इंजीनियर लाकर नगर विकास मंत्री जी से आग्रह किए थे इसके लिए नगर विकास मंत्री जी धन्यवाद भी देंगे कि कहते हैं कि सरकार का बजट पैसा होगा हमलोग भी बाहर जाते हैं देश और विदेश में देखते हैं कि 100 साल आगे की प्लानिंग होती है यहॉ तो क्या है अभी प्लानिंग होती है अगला साल सरकार का पैसा छूट जाता है और नगर विकास मंत्री को पिछले टाईम

कहे थे बढ़िया इंजीनियर लाईये बढ़िया प्रोजेक्ट बाहर से बनवाईये पानी स्वच्छ पानी पीने के लिए कहॉ है पूरी बिहार में कहीं फिल्टर लगाए हैं । पानी स्वच्छ देने के लिए, हमारे यहॉ इतना आयरन है पानी में, पानी पीने से आदमी की आयु कम हो जाता है उस पर कोई विचार नगर विकास मंत्री नहीं किए हैं अध्यक्ष महोदय । नगर विकास और नगर पंचायत में कचरा फेंकने से आदमी के अंदर बीमारी फैल रहा है उसके लिए जिममेवार कौन है नगर विकास व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कचरा फेंकने के लिए प्लान्ट लगता है उसका भी उपयोग होता है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : अब हो गया । अब धन्यवाद दे दीजिये ।

श्री गुलाब यादव : धन्यवाद देते हैं । हमारे नगर पंचायत में ..

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य के आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है। गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था, समेकित रुप से राज्य के आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनती है । साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद् 81 नगर पंचायत कार्यरत है । इसमें राष्ट्रीय मानक के अनुरुप विकसित करने एवं शहर को सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किए जा रहे है । राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना लागू की गयी है । नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय में से 3 निश्चय शामिल है । अध्यक्ष महोदय, हमारे बोलने के पहले 15 माननीय सदस्यों ने जिस बात को रखी है उसे मैं अपने संज्ञान में लिख लिया हूँ और उस पर भी विभाग में जो उचित होगा उसपर भी हम सिद्दीकी साहेब का जो सुझाव हुआ है अब उसका जवाब देंगे तो काफी लम्बा हो जायेगा लेकिन मैं उसपर भी गहरी तरह से

विचार करके उसमें भी जो काम होगा और हम उसको जरुर करने का प्रयत्न करेंगे । मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध जल एवं नल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना लागू है । इस योजना के तहत सभी नगर निकायों में कुल 3381 वार्डों में लक्षित 3341 वार्डो में से अबतक 3097 वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है एवं कुल 2589 वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है । अतक निश्चय योजना के पूर्व 3 लाख 33 हजार 309 घसरों में निश्चित योजना के अंतर्गत 3 लाख 99 हजार 988 घरों में अर्थात कुल 7 लाख 33 हीजार 297 घरों में नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है । मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चित योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों में पककी नाली गली जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाएली गली पक्कीकरण निश्चय योजना लागू है । इस योजना के तहत सभी नगर निकायों में कुल 3381 वार्डों में से 3312 वार्डों में निविदा निकाली जाचुकी है कुल 3293 वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है । इस योजना के तहत अबतक कुल 6408 योजना पूर्ण हो चुकी है जिसमें 2 लाख 95 हजार 516 घर पक्की नली गली से आच्छादित हो चुके हैं । महोदय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्यच योजना स्वच्छ भारत मीशन के तहत नगर निकाय क्षेत्र की स्थित सभी शौचालय विहिन घरों में शौचलय की व्यवस्था के लिए योजना की मंजूरी प्रदान की गयी है । इस योजना राज्य सरकार के शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना में शामिल है । इसके अंतर्गत अबतमक 3 लाख 98 हजार 62 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 94705 इकाई निर्माणाधीन है । क्रमशः

टर्न–24/08.7.2019/बिपिन

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः क्रमशः इस प्रकार से 392 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जबकि 18 निर्माणाधीन है ।

जल संरक्षण (वाटर प्रिजर्वेशन) : राज्य के घटते भू–जल स्तर एवं जल संकट को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । तत्कालीन समाधान योजना हेतु

कृत कार्रवाई इस प्रकार है – सभी नगर निकायों में प्रत्येक दो वार्ड पर एक स्टेनलेस स्टील वाटर टैंकर क्रय करने का निर्देश दिया गया है । सभी निकायों में वैसे वार्ड जहां टयूबवेल के रूप में वाटर सोर्स उपलब्ध है परंतु पाइप लाइन नहीं बिछाया जा सका है तो वैसे वार्डों में तत्काल सामुदायिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । पेयजल समस्याग्रस्त वार्डों में जहां निश्चित योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना के कार्य पूर्ण नहीं हुआ है वैसे नगर निकायों में प्रत्येक वार्ड में अधिकतम दो सबमर्सिबुल पंप के साथ निर्मित कराने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत मोडल प्राक्कलन द्वारा मार्गदर्शिका प्रचारित किया गया है ।

दीर्घकालीन समाधान हेतु कृत कार्रवाई : राज्य के सभी शहरी निकाय के तालाबों पोखर कुंआ के उराही और वृक्षारोपन हेतु कार्य योजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । ग्राउंड वार्टर रिचार्ज हेतु वाटर सोर्सेज के नजदीक सोख्ता निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है । पार्क, खेल के मैदान एवं अन्य खुले सार्वजनिक स्थानों पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु सोख्ता निर्माण की कार्रवाई की जा रही है । रेन वार्टर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु बिहार बिल्डिंग बाइलॉज में प्रावधान किया गया है । सरकार के स्तर पर यह भी निर्णय हुआ है कि सरकारी भवनों पर अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य कराया जाएगा । निजी भवनों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करने हेतु आमजनों को जानकारी एवं सरल तकनीक उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज आउटफॉल नाला निर्माण : राज्य के शहरी क्षेत्रों में छोटे नालियों का निर्माण मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना से हो रहा है । परंतु आउटफॉल ड्रेन का निर्माण नगर विकास के आधारभूत संरचना के अभाव में निश्चित योजना पूर्ण नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप नगर निकाय में आउटफॉल ड्रेन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है । इस क्रम में सहरसा, सासाराम, फुलवारीशरीफ, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, छपरा, शहरों में जल जमाव की समस्या के निदान हेतु, आरा भी है, स्ट्रॉग वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गई है जिसका कार्यान्वयन वुडको द्वारा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 42 नगर निकयों में बड़े आउटफॉल नाला का निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है । चार शहरों, यथा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया और आरा में स्ट्रॉग वाटर ड्रेनेज योजना प्रस्तावित है जिसका डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जो किए हैं वही न बता रहे हैं । मंत्री जी जो वक्तव्य लिखकर बॉटे हैं या देंगे, उससे हिलेंगे कैसे ? उसी पर न कायम रहेंगे ।

(व्यवधान)

आप चाहते हैं कि लिखकर कुछ दें और बोलें कुछ !

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि सारी बातें प्रतिवेदन और इनके वक्तव्य में हैं । यहां माननीय सदस्यों ने चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों...

(व्यवधान)

अरे भाई ! जो शहर में आप झोपड़ी उजाड़ रहे हैं और कॉलोनियां जो कॉमर्शियल यूज में जिनका मकान काम कर रहा है उसपर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, न हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में कुछ बोल रहे हैं । अगर वही पढ़ना है आपको तब फिर हम पढ़ा हुआ, वह तो है ही, लेकर पढ़ लेंगे ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : उसके बारे में भी बोलेंगे । सब लिखे हुए हैं उसको भी करेंगे ।

(व्यवधान)

महोदय, राज्य में 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसमें कुल 18 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । 13 नगर निकायों, बस स्टैंड निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है । अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल पटना का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। राज्य के सभी नगर निकायों में बहुद्देशीय सम्राट अशोक भवन जिसके बारे में आप कह रहे थे, अशोक भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । अब तक 93 नगर निकायों में योजना स्वीकृत है । शेष नगर निकायों में भूमि की उपलब्धता के आलोक में स्वीकृति दी जाएगी ।

स्ट्रीट लाइट : राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई.ई.एस.एल. के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है । राज्य के शहरी क्षेत्रों में सर्वे के अनुसार 5 लाख 40 हजार स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है जिसमें 2 लाख 50 हजार स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: महोदय..

अध्यक्ष : आप तो बोले हैं । मंत्री जी का सुनिए न !

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : दिसंबर, 2019 तक सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कर लिया जाएगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: महोदय..

अध्यक्ष : क्या है बोलिए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: माननीय मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, यह संयोग हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, हमने दो-तीन क्वेश्चन किया माननीय मंत्रीजी से, वह क्वेश्चन कोई व्यक्तिगत नहीं है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन किए तो मुख्यमंत्री बैठे हैं यह...

श्री अवधेश कुमार सिंह : इसलिए कि मुख्यमंत्री जी सहनशील हैं । मुख्यमंत्री जी मोक्ष प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए उनको मोक्ष की धरती और ...

अध्यक्ष : मंत्री जी बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, दिसम्बर 2019 तक सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट स्थापित कर दिया जाएगा । राज्य के शहर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए अलग-अलग मोडल प्राक्कलन तैयार ....

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : आप इनसे पहले जाना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : नगर निकायों के दो फर्नेस का विद्युत शवदाह गृह तथा 6 पायर वाला शवदाहगृह, नगर परिषदों के लिए एक फर्नेश का विद्युत शवदाह गृह तथा चार पायरवाला परंपरागत शवदाहगृह तथा नगर पंचायत के लिए दो पायर वाला परंपरागत शवदाह गृह का प्रावधान किया गया है ।

केंद्र प्रयोजित योजना: स्वच्च्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वच्छता को दृढ़ करने के लिए राज्य के सभी कार्य नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है । इसके तहत नगर निकाय और आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 कार्य संपन्न कराए गए हैं । बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 में सभी शहरों में निकायों में लागू कराया गया है तथा राज्य के प्लास्टिक कैरी बैग को उपयोग में प्रतिबंधित किया गया है । राज्य के निर्माण एवं विध्वंस (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2019 निर्माण किया गया है जिसके तहत शहरों में निर्माण के दौरान निकलने वाले अपशिष्टों का प्रबंधन एवं निपटरा तथा दंड की प्रक्रिया को समाहित किया गया है । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स, 2016 के अंतर्गत कई प्रकार के कार्य सभी शहरी निकायों को प्रारंभ किया गया है ।

स्वच्छता कार्य : राज्य में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य में छः छोटे-बड़े शहरों को मोडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में विकसित किया जा रहा है । राज्य के 142 शहरों में से

139 शहरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रारंभ किया गया है तथा 139 शहरों में कंपोस्ट पीट निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है ..... क्रमशः

टर्न : 25/कृष्ण/08.07.2019

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री (क्रमशः) 77 शहरों में सेनेटरी लैंडफिल विकसित करने में सरकारी भूमि,रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह तो हमलोगों को लिखित मिल चुका है, जो माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष : तो मंत्री जी से आप जो उम्मीद करते हैं वह दो तरह की बात करें, उसमें कुछ और यहां कुछ, जो लिखा है, वही कहेंगे । मंत्री जी, आप बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : दीनदयाल अंतोदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY- NULM योजना पूर्व से चयनित 42 नगर निकायों के अतिरिक्त राज्यों के शेष नगर निकायों में भी लागू किया गया है । योजना के अधीन कौशल प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत शहरी गरीब युवक-युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 2015-16 से अबतक 37,258 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जबकि 3507 युवक-युवतियों का प्रशिक्षण जारी है । अभी तक 18,790 प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन हो जा चुका है ।

शेल्टर फॉर अरबन होम लेस के तहत 48 होमलेस सेंटर विभिन्न नगर निकायों में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें 30 का निर्माण एवं 18 जगहों पर होम लेस सेंटर निर्माणाधीन है ।

वेंडिंग जोन का निर्माण । फुटपाथ दुकानदारों के हितों के देख-रेख हेतु बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं विक्रय विनियमन) नियमावली,2017 एवं बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण विक्रय विनियमन स्कीम,2017 अधिसूचित किया गया है । सभी नगर निकायों में टाउन वेंडिंग कमिटी का गठन किया जा चुका है । नगर निकायों से प्राप्त वेंडिंग

जोन निर्माण के प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और मोतिहारी, पटना, सासाराम, छपरा वेंडिंग जोन निर्माणाधीन है । सर्वेक्षित दुकानदारों को बसाने हेतु 482 वेंडिंग जोन चिन्हित किये गये हैं । 42 शहरों में टाउन लेवल फेडरेशन गठन किया गया है ।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना । अमरूत योजना के अधीन राज्य के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों एवं 14 नगर परिषदों एवं नगर पंचायत, बोध गया क्रियान्वित है। इस योजना के अंतर्गत 21 नगर निकायों में आवासीत सभी परिवारों को पेयजलापूर्त्ति हेतु कुल 2,237 करोड़ 48 लाख 41 हजार 900 रूपये की लागत से 36 जलापूर्त्ति योजना क्रियान्वित है ।

इस योजनान्तर्गत जल जमाव निकासी हेतु 3 शहरों में कुल 240 करोड़ 2 लाख 63 हजार रूपये जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन के लिये 21 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य में 4 स्मार्ट सिटी बनाये जा रहे हैं ।

भागलपुर फेज–1, भागलपुर फेज–2 और गया फेज–1 और गया फेज–2 ए0डी0बी0सम्पोषित जलापूर्त्ति योजना स्वीकृत है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अवधेश बाबू, आपलोग बेकार हड़बड़ा रहे हैं । ये बोलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास फरवरी,2019 में किया जा चुका है। इस परियोजना में कुल लागत 13,364 करोड़ के अन्तर्गत दो कोरीडोर का निर्माण होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप बोलिये मंत्री जी । आप क्यों चुप हो गये हैं ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : 39 नगर निकायों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसमें से कुल 18 नगर निकायों में बस स्टैंड का कार्य पूरा हो चुका है । 302.3421 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल,पटना का निर्माण प्रगति पर है ।

नगर एवं क्षेत्रीय निदेशक संगठन के द्वारा बोध गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा में योजना है इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में दरभंगा, कटिहार, पूर्णियां, मुंगेर, जमालपुर, बेगुसराय ये सारे मास्टर प्लान अमरूत योजना मिशन के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्तावित बजट नगर आवास विभाग 2020 के व्यय 51 अरब 58 करोड़ 78 लाख 99 हजार रूपये का उपबंध मांग संख्या 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावा राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है । स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिये 20 अरब 83 करोड़ 78 लाख 99 हजार तथा स्कीम व्यय के लिये 30 अरब 75 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

मैं सदन से अनुरोध करत हूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर विचार कर मंजूरी देने की कृपा करें और जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसे वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी अपना कटौती प्रस्ताव लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

"इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

" नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31 मार्च,2020 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 51,58,78,99,000/- (इक्यावन अरब अनठावन करोड़ अठहत्तर लाख निनानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 30 है । यदि सभा की सहमति हो तो संबंधित विभाग को भेज दिये जाय ।

(सभा की सहमति हुई ।)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई,2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।